अध्याय–II

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

2.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विहंगावलोकन

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) में राज्य सरकारी कम्पनियाँ और सांविधिक निगम सम्मिलित हैं।

31 मार्च 2014 तक 17 सा.क्षे.उ. (सभी कार्यशील) थे, जिनमें 15 सरकारी कम्पनियाँ[1] एवं दो सांविधिक निगम[2] सम्मिलित थे। इनमें से कोई भी कम्पनी किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। 31 मार्च 2014 तक सा.क्षे.उ. में निवेश ₹ 28518.73 करोड़ था।

2.1.1 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से की जाती है। धारा 617 के अनुसार सरकारी कम्पनी वह है जिसमें प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 51 *प्रतिशत* सरकार द्वारा धारण किया जाता है। सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायिका को भी सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसी कम्पनी जिसमें प्रदत्त पूँजी का न्यूनतम 51 *प्रतिशत* किसी भी योग में सरकार, सरकारी कम्पनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा धारण किया जाता है कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619.बी के अनुसार सरकारी कम्पनी (मानित सरकारी कम्पनी) ही मानी जाएगी।

राज्य सरकार की कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(बी) के प्रावधानों के अनुसार नि.म.ले.प. द्वारा आयोजित पूरक लेखापरीक्षा के अतिरिक्त कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित कानूनों द्वारा नियंत्रित होती है। दो सांविधिक निगमों में से नि.म.ले.प. दिल्ली परिवहन निगम के लिए एकमात्र लेखापरीक्षक है। दिल्ली वित्त निगम के लिए लेखापरीक्षा का आयोजन चार्टर्ड अकाउण्टैन्ट्स द्वारा और पूरक लेखापरीक्षा नि.म. ले.प. द्वारा आयोजित किया जाता है।

[1](i) दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक, विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड (ii) दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (iii) शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम (iv) दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड (v) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (vi) इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (vii) प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (viii) दि.रा.औ.अ.वि.नि. एनर्जी लिमिटेड (ix) दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (x) दिल्ली पर्यटन व परिवहन विकास निगम लिमिटेड (xi) जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड (xii) दि.रा.औ.अ.वि. नि. मेनटीनेन्स सर्विसेज लिमिटेड (xiii) दि.रा.औ.अ.वि.नि. एक्जिम लिमिटेड (xiv) दि.रा.औ.अ.वि.नि. लिकर लिमिटेड (xv) दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम

[2](i) दिल्ली वित्तीय निगम और (ii) दिल्ली परिवहन निगम

2.1.2 राज्य सा.क्षे.उ. में निवेश

31 मार्च 2014 तक 17 सा.क्षे.उ. में निवेश ₹ 28518.73 करोड़ था, जो **तालिका 2.1.1** में दिया गया है।

तालिका 2.1.1
सा.क्षे.उ. में निवेश

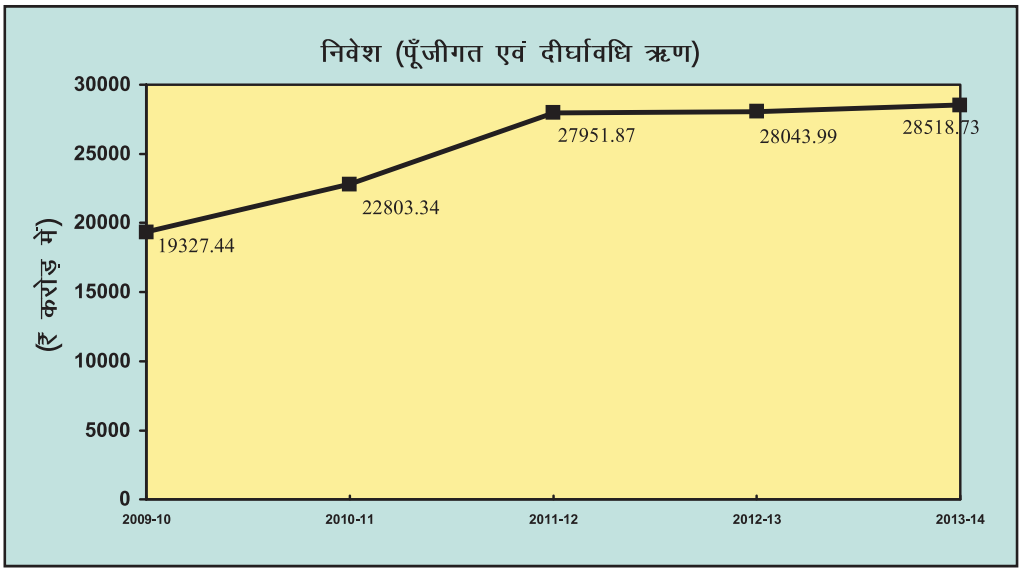
(₹ करोड़ में)

	संख्या	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल
सरकारी कम्पनियाँ	15	7607.72	7167.73	14775.45
सांविधिक निगम	2	2010.15	11733.13	13743.28
कुल	**17**	**9617.87**	**18900.86**	**28518.73**

(स्रोतः कम्पनियों तथा सांविधिक निकायों द्वारा प्रदत्त आँकड़ें)

राज्य सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश की संक्षिप्त स्थिति **अनुलग्नक 2.1** में दी गई है।

31 मार्च 2014 तक, राज्य सा.क्षे.उ. में कुल निवेश में 33.72 *प्रतिशत* पूँजी के लिए और 66.28 *प्रतिशत* दीर्घावधि ऋण के लिए था। पूँजी निवेश 2009–10 में ₹ 7171.70 करोड़ से 34.11 *प्रतिशत* बढ़कर 2013–14 में ₹ 9617.87 करोड़ हो गया जबकि ऋण निवेश 2009–10 में ₹ 12155.74 करोड़ से 55.49 *प्रतिशत* बढ़कर 2013–14 में ₹ 18900.86 करोड़ हो गया, जैसा कि निम्न ग्राफ में दर्शाया गया है:



सा.क्षे.उ. में परिवहन तथा विद्युत क्षेत्रों में निवेश पर जोर था। परिवहन क्षेत्र में निवेश 2009–10 में ₹ 10911.84 करोड़ से बढ़कर 2013–14 में ₹ 13740.64 करोड़ हो गया। कुल निवेश में इसका *प्रतिशत* अंश 56.46 *प्रतिशत* (2009–10) से गिरकर 48.18 *प्रतिशत* (2013–14) हो गया। विद्युत क्षेत्र में, निवेश 2009–10 में ₹ 8257.68 करोड़ से बढ़कर 2013–14 में ₹ 14548.86 करोड़ हो गया, कुल निवेश में इसका *प्रतिशत* अंश 42.73 प्रतिशत (2009–10) से बढ़कर 51.02 *प्रतिशत* (2013–14) हो गया।

2.1.3 बजटीय व्यय, अनुदान/आर्थिक सहायता, गारण्टी तथा ऋण

राज्य सा.क्षे.उ. से संबंधित बजटीय व्यय से जारी किए गए अंशदान, ऋणों, अनुदानों/आर्थिक सहायता, गारण्टी और अंशदान में बदले गए ऋणों का विवरण **अनुलग्नक 2.2** में दिया गया है। 2013–14 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों का संक्षिप्त विवरण **तालिका 2.1.2** में दिया गया है:

तालिका 2.1.2
राज्य सा.क्षे.उ. को बजटीय व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2011–12		2012–13		2013–14	
		सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि
1.	बजट से अंशदान पूँजी व्यय	5	1161.65	4	743.55	–	–
2.	बजट से दिया गया ऋण	5	1196.36	4	770.00	5	3639.39
3.	प्राप्त अनुदान/आर्थिक सहायता	5	917.03	5	1271.40	4	1455.14
4.	कुल व्यय[3] (1 + 2 + 3)	9	3275.04	7	2784.95	8	5094.53

2.1.4 वित्तीय लेखों से मिलान

राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखों में बकाया अंशदान, ऋणों तथा गारण्टियों के आँकड़े राज्य के वित्तीय लेखों में दर्शाए गए आँकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि आँकड़े मेल नहीं खाते हैं तो वित्त विभाग और सम्बन्धित सा.क्षे.उ. को अन्तर का समाधान करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2014 तक की स्थिति **तालिका 2.1.3** में दी गई है।

तालिका 2.1.3
वित्तीय लेखों से मिलान

(₹ करोड़ में)

के संबंध में बकाया	वित्त लेखों के अनुसार धनराशि	सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार धनराशि	अन्तर
अंशदान[4]	9177.78	9197.70	(–) 19.92
ऋण[5]	15674.08	17230.37	(–) 1556.29

(स्रोतः रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखे तथा सा.क्षे.उ. से प्राप्त सूचना)

यह पाया गया कि 12[6] सा.क्षे.उ. के संबंध में अंशदान और ऋण के आंकड़ों में अन्तर था। सरकार व सा.क्षे.उ. को एक समयबद्ध ढंग से अन्तरों का समाधान करने हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए।

[3] पीएसयू की वास्तविक संख्या जिन्हें बजटीय सहायता प्राप्त हुई।

[4] अंशदान आंकड़े में केवल राज्य सरकार का अंश सम्मिलित है।

[5] ऋण आंकड़े कम्पनियों के अभिलेखों से लिए गए और उनका मिलान पी ए ओ से प्राप्त सूचना से किया गया।

[6] अनुलग्नक 2–1 में क्रम सं. 2, 3, 11, 15 और 17 पर सा.क्षे.उ. के अंशदान के आँकड़े तथा क्रम सं. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 तथा 17 पर सा.क्षे.उ. के ऋणों के आंकड़े।

2.1.5 सा.क्षे.उ. का निष्पादन

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम वर्ष जिसके लिए लेखों को अंतिम रूप दिया गया था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को **अनुलग्नक 2.3** में दर्शाया गया है। 17 कार्यशील सा.क्षे.उ.[7] जिनके लेखे 30 सितम्बर 2014 तक प्राप्त किए गए थे, में से ग्यारह सा.क्षे.उ. ने ₹ 1315.42 करोड़ का लाभ अर्जित किया, पाँच सा.क्षे.उ. को ₹ 2950.45 करोड़ का घाटा हुआ और एक सा.क्षे.उ. में न हानि न लाभ की स्थिति थी। लाभ में प्रमुखतः योगदान करने वाले प्रगति पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 597.91 करोड़), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (₹ 327.19 करोड़), इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 189.66 करोड़) एवं दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 148.35 करोड़) थे। दिल्ली परिवहन निगम (₹ 2914.40 करोड़) को भारी घाटा हुआ।

नियत्रंक–महालेखापरीक्षक के पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा से पता चलता है कि राज्य सा.क्षे.उ. को लगभग ₹ 1523.74 करोड़ की हानि हुई जिन्हें बेहतर प्रबन्धन से नियंत्रित किया जा सकता था जिसमें से ₹ 81.50 करोड़ चालू वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित है। वर्षवार विवरण **तालिका 2.1.4** में दिया गया है।

तालिका 2.1.4
सा.क्षे.उ. की नियंत्रित किए जाने योग्य हानियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14
नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार हानि जिसे नियंत्रित किया जा सकता था।	1259.35	182.89	81.50

ग्यारह[8] सा.क्षे.उ. ने, उनके नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 1315.42 करोड़ का लाभ अर्जित किया परन्तु केवल दो कम्पनियों अर्थात् डीटीटीडीसी और डी एस सी एस सी ने क्रमशः ₹ 0.63 करोड़ और ₹ 0.5 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

2.1.6 लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया

कम्पनी अधिनियम 1956 की धाराओं 166, 210, 230, 619 और 619–बी के अनुसार प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए कम्पनियों के लेखों को सम्बन्धित वित्त वर्ष के अंत से छः महीनों के भीतर अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामले में उनके लेखों को उनसे सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाता है, उनकी लेखापरीक्षा की जाती है और विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। 30 सितम्बर 2014 को कार्यशील सा.क्षे.उ. के लेखों को अन्तिम रूप दिए जाने का विवरण **तालिका 2.1.5** में दिया गया है।

[7] वर्ष 2003–04 के लिए, (एक सा.क्षे.उ.); 2011–12 के लिए (एक सा.क्षे.उ.); 2012–13 के लिए, (दो सा.क्षे.उ.); 2013–14 के लिए (13 सा.क्षे.उ.)

[8] **अनुलग्नक 2.3** में क्रम सं. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 एवं 16।

तालिका 2.1.5
लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया

क्र.सं.	विवरण	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
1.	कार्यशील सा.क्षे.उ. की संख्या	12	13	17	17	17
2.	वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिए गए लेखों की संख्या	14	11	12	21	15
3.	बकाया में लेखों की संख्या	9	11	16	12	14
4.	प्रति सा.क्षे.उ. औसत बकाए (3/1)	0.75	0.85	0.94	0.71	0.82
5.	कार्यशील सा.क्षे.उ. की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	3	4	8	3	4[9]
6.	बकायों का विस्तार	1 से 7 वर्ष	1 से 8 वर्ष	1 से 9 वर्ष	1 से 9 वर्ष	1 से 10 वर्ष

2009–10 में प्रति कार्यशील सा.क्षे.उ. बकाया खातों की औसत संख्या 0.75 से बढ़कर 2013–14 में 0.82 हो गई। एक सा.क्षे.उ. अर्थात् दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक विकलांग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के दस वर्षों के लेखों का बृहत अवशिष्ट कार्य था। अन्य सा.क्षे.उ. के 30 सितम्बर 2014 तक केवल एक से दो वर्षों के लेखे बकाया थे।

राज्य सरकार ने उन वर्षों के दौरान चार सा.क्षे.उ. में ₹1297.45 करोड़ (अंशदानः ₹ 19.28 करोड़, ऋणः ₹ 284.49 करोड़ और अनुदान/आर्थिक सहायताः ₹ 993.68 करोड़) का निवेश किया, जिनके लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना शेष था, जिसका विवरण **अनुलग्नक 2.4** में दिया गया है। लेखों की अनुपलब्धता और तत्पश्चात उनकी लेखापरीक्षा के न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेश व उसमें हुए व्यय को समुचित रूप से लेखों में सम्मिलित कर लिया गया है तथा जिस प्रयोजन के लिए धनराशि का निवेश किया गया है वह पूर्ण हुआ है या नहीं। इसके अतिरिक्त लेखों को अंतिम रूप देने में हुई देरी के परिणामस्वरूप कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

प्रशासकीय विभागों पर इन निकायों की गतिविधियों की निगरानी का तथा यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होता है कि लेखों को इन सा.क्षे.उ. द्वारा निर्दिष्ट समयावधि के भीतर अंतिम रूप दिया जाए और अंगीकृत किया जाए। परिणामस्वरूप इन सा.क्षे.उ. के निवल मूल्य का आकलन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के द्वारा एक समयबद्ध ढंग से बकाया लेखों के शीघ्र निपटान हेतु लेखों को अंतिम रूप देने के मामले को प्रतिमाह प्रधान सचिव (वित्त), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के साथ उठाया जाता है। जून 2014 तथा अक्तूबर 2014 में इस मामले को प्रमुख सचिव, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के समक्ष भी उठाया गया।

[9] **अनुलग्नक 2.3** का क्रम सं. 1, 5, 15 एवं 17। क्रम सं. 5 व 17 पर सा.क्षे.उ. के संदर्भ में, वर्ष 2013–14 के लिए, लेखे, यद्यपि सितम्बर 2014 में प्राप्त किए गए, पर लेखों को 30 सितम्बर 2014 तक अंतिम रुप दिया जाना था।

2.1.7 लेखों पर टिप्पणियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा/आन्तरिक नियंत्रण

13 कार्यशील कम्पनियों ने अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 की अवधि के दौरान अपने 13 लेखापरीक्षा किए गए लेखों को अग्रेषित किया। इनमें से 12 लेखे पूरक लेखापरीक्षा के लिए चुने गए और एक लेखे को गैर–समीक्षा प्रमाणपत्र जारी करने हेतु चुना गया। इसी प्रकार, दो कार्यशील सांविधिक निगमों ने अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 की अवधि के दौरान अपने दो लेखों को अग्रेषित किया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कुल धन मूल्य का विवरण **तालिका 2.1.6** में दिया गया है।

तालिका 2.1.6

सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कुल धन मूल्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	कम्पनी				निगम			
		2012–13		2013–14		2012–13		2013–14[10]	
		खातों की संख्या	धन राशि	खातों की संख्या	धनराशि	खातों की संख्या	धनराशि	खातों की संख्या	धनराशि
1.	लाभ में कमी	2	2.98	3	11.12	–	–	–	–
2.	लाभ में वृद्धि	4	66.76	3	68.29	1	0.01	–	–
3.	हानि में वृद्धि	1	850.59	1	554.82	1	549.70	2	2569.52
4.	हानि में कमी	–	–	–	–	–	–	1	1306.17
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर न करना	4	1328.86	–	–	2	10.71	1	1.54
6.	वर्गीकरण में त्रुटियाँ	2	7.30	1	40.17	–	–	1	116.66

(स्रोत– सा.क्षे.उ. के वार्षिक लेखे)

वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सात लेखों को बिना–शर्त प्रमाणपत्र और पाँच लेखों को सशर्त प्रमाणपत्र[11] प्रदान किया था तथा एक खाते पर सत्य तथा सही नहीं होने का विचार दिया था। वर्ष के दौरान तीन कम्पनियों में लेखा मानकों (ए एस) के अनुपालन न होने के तीन दृष्टान्त थे। पूरक लेखापरीक्षा के बाद, नि.म.ले.प. ने भी एक लेखे को सशर्त प्रमाणित किया।

दिल्ली वित्त निगम को इनके वर्ष 2013–14 के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं नि.म.ले.प. से सशर्त प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ। दिल्ली परिवहन निगम, जहाँ नि.म.ले.प. एक मात्र लेखापरीक्षक है, ने वर्ष 2013–14 के लिए लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया (अप्रैल 2015)। दो निगमों में लेखा मानकों का अनुपालन न होने के तीन दृष्टान्त थे।

30 नवम्बर 2014 तक जिन कम्पनियों एवं निगमों के लेखों की लेखापरीक्षा की गई तथा जिन्हें अंतिम रूप दिया गया उनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ **तालिका 2.1.7** में दी गई है।

[10] लेखाओं पर टिप्पणियों का प्रभाव दिल्ली परिवहन विभाग के संबंध में वर्ष 2012–13 के लिए है तथा दिल्ली वित्त निगम के संबंध में वर्ष 2013–14 के लिए।

[11] सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिया सशर्त प्रमाणपत्र बताता है कि वित्तीय विवरणी में कुछ अपवाद/योग्यताएँ हैं जो सामान्यता स्वीकृत लेखाकन सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।

तालिका 2.1.7
कम्पनियों एवं निगमों के लेखों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

कम्पनी का नाम	लेखा का वर्ष	टिप्पणी का सारांश
डी.पी.सी.एल[12]	2013–14	• ''नकद एवं नकद समतुल्य'' को ₹ 1.53 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया। परिणामस्वरूप, बही पर ब्याज उपार्जित परन्तु देय नहीं, को कम दर्शाया गया। • वर्ष 2013–14 की निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह में वर्ष 2013–14 के लिए उपार्जित लाभाँश ऋणों, सा.ज.प्रा. तथा अन्य प्रतिभूतियों पर उपार्जित और देय/अदेय ब्याज को गलत ढंग से शामिल किया गया तथा वर्ष के दौरान वर्ष 2012–13 के लिए उपार्जित व देय ब्याज को शामिल नहीं किया, परिणामस्वरूप ₹ 38.64 करोड़ तक की निवेशित गतिविधियों से नकद प्रवाह को अधिक दर्शाया गया।
दि.वि.नि.[13]	2013–14	• लाईसेंसधारियों से वसूली योग्य सेवा कर, जो 1 जून 2007 से 31 मार्च 2014 की अवधि के लिए था, को ₹ 0.15 करोड़ बढ़ा हुआ दर्शाया गया तथा हानियाँ समान राशि कम दर्शाई गई।
दि.प.नि.[14]	2012–13	• संचालन घाटें को पूरा करने के लिए ₹ 1304 करोड़ के राजस्व सहायता अनुदान (पूर्वोपाय) को लाभ तथा हानि लेखा में दर्शाये जाने की बजाए गलत ढ़ंग से देयता के रूप में दिखाया गया था। परिणामस्वरूप सहायता अनुदान को अधिक दर्शाया गया एवं असामान्य मदों (जमा पक्ष) को कम दर्शाया गया। • 31 मार्च 2013 को दि.प.नि. कर्मचारी सेवानिवृत्ति पेशंन ट्रस्ट ने अपनी कायिक निधि में ₹ 2087.37 करोड़ की ट्रस्ट की न्यूनतम निर्धारित मूल्यांकन देयता के प्रति ₹ 159.38 करोड़ की उपलब्धता को दर्शाया। इसके परिणामस्वरूप पेंशन स्कीम के नियोक्ता योगदान को कम दिखाया गया और साथ ही ₹ 1927.99 करोड़ की निवल हानि को तुलन पत्र में कम करके ले जाया गया। • 31 मार्च 2013 को (लेखा मानक 15 के अनुसार) सेवानिवृत्ति उपदान में 26072 कर्मचारियों के लिए ₹ 700 करोड़ बीमांकित मूल्यांकन निकाला गया था। तथापि, कारपोरेशन ने उपदान के अन्तर्गत केवल ₹ 58.62 करोड़ प्रदान किये थे परिणामस्वरूप उपदान प्रावधान/हानियाँ तथा उपदान निधि ₹ 641.38 करोड़ से कम दर्शाई गईं।

सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट्स) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3)(ए) के अन्तर्गत नि.म.ले.प. द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा की गई कम्पनियों में आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणालियों सहित विभिन्न पहलुओं पर अपना विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है और जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता हो उनकी पहचान करना अपेक्षित है। आठ कम्पनियों[15] के सम्बन्ध में वर्ष 2013–14 के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा/

[12] दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटिड

[13] दिल्ली वित्त निगम

[14] दिल्ली परिवहन निगम

[15] **अनुलग्नक 2.3** में क्रम सं. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 14

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में संभावित सुधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई मुख्य टिप्पणियों का निदर्शी सारांश **तालिका 2.1.8** में दिया गया है:

तालिका 2.1.8
सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियाँ

क्र.सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जहाँ सिफारिशें की गई थीं	अनुलग्नक 2.3 के अनुसार कम्पनियों की क्रम सं. का संदर्भ
1.	भण्डार और अतिरिक्त वस्तुओं की न्यूनतम/अधिकतम सीमाओं का निर्धारण न होना	4	क – 5, 6, 7 व 9
2.	कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति व आकार के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा तंत्र का न होना	7	क – 2, 6, 7, 8, 9,10 व 14
3.	समुचित अभिलेखों का रख–रखाव न किया जाना	3	क – 2, 9, व 10

(स्रोतः सा.क्षे.उ. के वार्षिक लेखे)

2.1.8 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति की स्थिति

तालिका 2.1.9 नि.म.ले.प द्वारा सांविधिक निगमों के लेखों पर जारी की गई पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प.) का सरकार द्वारा विधायिका में प्रस्तुति की स्थिति को दर्शाती है:

तालिका 2.1.9
विधायिका में पृ.ले.प्र. की प्रस्तुति की स्थिति

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जब तक पृ.ले.प्र. विधायिका में प्रस्तुत की गई	वर्ष जिनके लिए पृ.ले.प्र. विधायिका में प्रस्तुत नहीं की गई		
			पृ.ले.प्र. का वर्ष	सरकार को जारी करने की तिथि	विधायिका में प्रस्तुति में देरी के कारण
1.	दिल्ली वित्तीय निगम	2011–12	2012–13	31.10.2013	उपलब्ध नहीं
			2013–14	07.11.2014	
2.	दिल्ली परिवहन निगम	2011–12	2012–13	19.03.2014	

2.1.9 सा.क्षे.उ. का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन

राज्य सरकार ने 2013–14 के दौरान किसी राज्य सा.क्षे.उ. के विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन के कार्य के लिए कोई कवायद नहीं की।

2.1.10 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सामग्री तथा अध्याय की कवरेज का सरकार का प्रत्युत्तर

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा ₹ 8.04 करोड़ से संबंद्ध तथा दो लेखापरीक्षा पैराग्राफों ₹ 73.46 करोड़ से संबंद्ध, को सरकार को छः सप्ताह के भीतर उत्तर देने के अनुरोध सहित जारी किया गया। तथापि लेखापरीक्षा पैराओं के उत्तर सरकार से प्रतीक्षित थे (अप्रैल 2015)। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के भाग ब में ₹ 81.50 करोड़ के वित्तीय प्रभाव सहित दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड' पर दो लेखापरीक्षा पैराग्राफ तथा एक निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है।

निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेनदेनों की लेखापरीक्षा

2.2 दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड के कार्य की निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य बिन्दु

कंपनी के पास अपनी स्थापना (1975) के 39 वर्षों के बाद भी पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु परिपेक्ष्य योजना नहीं थी।

(पैराग्राफ 2.2.3.1)

दिल्ली में पर्यटक आगमन में समग्र रूप से 108 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई थी जबकि यह 2009–14 के दौरान कंपनी के स्वामित्व वाले पर्यटन स्थलों में केवल 30 प्रतिशत बढ़ा। दिल्ली हाटों में रिक्त शिल्प एवं खाद्य स्टॉलों तथा नियमित आधार पर सांस्कृतिक कार्यक्रम न करने के कारण पर्यटकों के आगमन में कमी आई तथा इससे भारतीय कला व शिल्प, संस्कृति व पाक कला का अपर्याप्त प्रदर्शन हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.3.3 तथा 2.2.4.2 (ii) 2.2.4.3 तथा 2.2.4.4)

निवल लाभ में 2012–13 में ₹ 18.47 करोड़ से 2013–14 में ₹ 5.32 करोड़ की कमी आई। 2009–14 के दौरान कंपनी के पर्यटन स्थलों जैसे दिल्ली हाट– पीतमपुरा तथा गा.फा.से. ने कम आय तथा उच्च नियत लागतों के कारण क्रमशः ₹ 5.58 करोड़ तथा ₹ 1.60 करोड़ की हानियाँ वहन की। 2009–14 के दौरान पर्यटन तथा यात्रा डिविजन ने क्रमशः ₹ 28.30 करोड़ तथा ₹ 2.63 करोड़ की हानि वहन की क्योंकि व्ययों को पूरा करने के लिए अर्जन पर्याप्त नहीं थे।

(पैराग्राफ 2.2.2.1,2.2.4.1 (ii) व (iii), 2.2.4.5 तथा 2.2.4.6)

पाँच बाह्य स्त्रोत कॉफी होम द्वारा अर्जित ₹ 4.59 करोड़ का लाभ विधानसभा की कैंटीन और विभाग द्वारा संचालित कॉफी होम के घाटे से क्षारित हो गया जिसके परिणामस्वरूप केटरिंग डिविजन को ₹ 1.37 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.2.4.7)

कुल टर्नओवर में मद्य बिक्री का अंशदान 91 *प्रतिशत* था परन्तु लाभ में इसका अंश केवल 13 तथा 42 *प्रतिशत* के बीच की रेंज में था। स्टॉक की उपलब्धता के बावजूद उच्च वृद्धि घटक के प्रयोग से मद्य की खरीद हेतु आदेश अविवेकपूर्ण था। कंपनी के पास अपने मद्य व्यवसाय के आउटलेट्स को रिब्राण्ड करने अथवा नवीकरण हेतु कोई प्रणाली नहीं थी।

(पैराग्राफ 2.2.2.1 (i) तथा 2.2.5.2)

मयूर विहार दिल्ली हाट परियोजना के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने से पहले विद्युत सेवाओं के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप ₹ 6.95 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इंजीनियरिंग डिविजन द्वारा ठेकों में कीमत वृद्धि खण्ड के अनियमित सम्मिलन के परिणामस्वरूप तीन कार्यों में ₹ 117.06 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

(पैराग्राफ 2.2.4.9 (iii) तथा 2.2.6.3)

2.2.1 प्रस्तावना

दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 1975 में एक सरकारी उपक्रम दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (कम्पनी) को निगमित किया गया। कम्पनी को मद्य बिक्री (1979) की गतिविधियाँ तथा इंजीनियरिंग व निर्माण गतिविधियाँ (1989) सौंपी गयीं। कंपनी का प्रबंधन

निदेशक मंडल (नि.मं.) में निहित है जिसमें अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक तथा 12 सदस्य शामिल हैं। प्रबंध निदेशक कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जिसकी सहायता एक महाप्रबंधक, एक मुख्य अभियंता तथा एक वित्तीय नियंत्रक करते हैं।

2.2.1.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह निश्चित करने के विचार के साथ की गई कि क्याः

- कंपनी ने इसके वित्तीय संसाधनों का प्रबन्धन प्रभावशीलता एवं दक्षता से किया था,
- कंपनी अपने अधिदेश के अनुसार कार्य कर रही थी और इसकी पर्यटन गतिविधियाँ इसके उद्देश्यों के अनुसार थीं,
- मद्य बिक्री व्यवहार्य आधार पर की गई थी,
- कम्पनी कार्यों को मितव्ययतापूर्ण, कुशलतापूर्वक तथा प्रभाविकता से कार्यान्वित कर रही थी, और
- पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र स्थित था।

2.2.1.2 लेखापरीक्षा का विषय क्षेत्र तथा प्रणाली

कंपनी की वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा 2009–14 की अवधि को कवर करते हुए पर्यटन की प्रोन्नति, मद्य की ब्रिकी तथा इंजीनियरिंग की गतिविधियों को शामिल करते हुए, अप्रैल से सितंबर 2014 के दौरान की गई। कंपनी के कॉरपोरेट कार्यालय तथा उसकी इकाईयों जो पर्यटन तथा मद्य बिक्री से संबंधित है, के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग डिविजन के 212 में से 41 कार्यों (19 *प्रतिशत*) का उच्चतर निविदा राशि के आधार पर चयन किया गया। लेखापरीक्षा उद्देश्यों, क्षेत्र, मानदण्ड तथा प्रणाली पर चर्चा के लिए 22 मई 2014 को प्रबंधन के साथ प्रवेश सम्मेलन किया गया। 1998–99 से 2002–03 की अवधि को कवर करते हुए अंतिम पुनरीक्षण भारत के नि.म.ले.प. प्रतिवेदन, 2004 में प्रकाशित किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रबंधन को उनके विचार जानने के लिए जारी किए गए तथा 3 मार्च 2015 को प्रबंधन और सरकार के साथ एक निर्गम सम्मेलन किया गया। निर्गम सम्मेलन में व्यक्त विचार तथा तदनन्तर सरकार से प्राप्त जवाबों को प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

2.2.1.3 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष, निम्नलिखित स्त्रोतों के लिए मानदण्ड के नीति निर्देश थेः

- वार्षिक योजनाएं, कार्यसूची नोट्स तथा निदेशक मंडल के प्रस्ताव;
- निजी पक्षों तथा सरकारी एजेन्सियों के साथ समझौता ज्ञापन/करार;
- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नियम–पुस्तक; और
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देश तथा सामान्य वित्तीय नियमावली।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.2 वित्तीय स्थिति

2.2.2.1 पूंजी विन्यास तथा वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण

31 मार्च 2014 को, कंपनी की प्रदत्त अंश पूँजी ₹ 6.28 करोड़ (₹ 100 प्रत्येक के 6,28,251 इक्विटी शेयर्स जो 99.99 *प्रतिशत* है, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा धारित किए गए) एवं 'आरक्षित और आधिक्य'

₹ 139.88 करोड़ था। 2009–14 की अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों के ब्यौरे **अनुलग्नक–2.2.1 (ए), 2.2.1(बी)** तथा **2.2.1 (सी)** में है तथा सार **तालिका 2.2.1** में है। कम्पनी, पर्यटन, यात्रा, कैटरिंग, मद्य व्यापार तथा इंजीनियरिंग गतिविधियों का व्यवसाय करती है। कंपनी के निष्पादन की चर्चा विभिन्न खण्डों में उचित स्थान पर की गई है। कंपनी की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार है:

तालिका 2.2.1
कंपनी के वित्तीय परिणाम (2009–14)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	टर्नओवर	अन्य आय	कुल आय	कुल व्यय	कर से पहले निवल लाभ	कर के पश्चात निवल लाभ
2009–10	739.27	30.37	769.64	760.19	9.45	4.66
2010–11	845.80	38.25	884.05	867.75	16.30	13.48
2011–12	932.06	37.91	969.97	949.11	20.86	18.40
2012–13	1040.32	58.20	1098.52	1064.83	33.69	18.47
2013–14	1050.60	48.35	1098.95	1079.69	19.26	5.32
कुल	**4608.05**	**213.08**	**4821.13**	**4721.57**	**99.56**	**60.33**

(स्रोतः कम्पनी की वित्तीय विवरणियाँ)

(i) 2009–14 की अवधि की वित्तीय विवरणियों के विश्लेषण ने निम्न दर्शायाः

- निवल लाभ, अन्य आय में ₹ 58.20 करोड़ से ₹ 48.35 करोड़ की गिरावट के कारण 2012–13 में ₹ 18.47 करोड़ से कम होकर 2013–14 में ₹ 5.32 करोड़ हो गया।
- यद्यपि नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता में सुधार दिखाया (2009–10 में 4.87 *प्रतिशत* से 2010–11 में 12.91 *प्रतिशत*) 2013–14 में घटकर 2.33 *प्रतिशत* रह गई जो दर्शाता है कि कंपनी अपनी परिसम्पत्तियों से पर्याप्त उपार्जन करने में समर्थ नहीं थी।
- यद्यपि कुल आय में मद्य आय का अंशदान 91 और 94 *प्रतिशत* की रेंज में था, कर से पहले लाभ में उसका अंशदान केवल 13 से 28 *प्रतिशत* (2011–12 में 42 *प्रतिशत* को छोड़कर) था।
- यदि ₹ 141.02 करोड़ की ब्याज आय अव्ययित अनुदानों तथा निक्षेप कार्य निधियों से प्राप्त को कुल आय से निकाल दिया जाए, वास्तव में कम्पनी ने अपनी अधिशासित गतिविधियों में ₹ 41.46 करोड़ की हानि वहन की।
- 'अन्य आय' कुल आय का महत्वपूर्ण अंश (36 से 47 *प्रतिशत*), मूल व्यवसाय से अपर्याप्त आय के संकेत को दर्शाता है।
- कम्पनी ने अपनी पर्यटन गतिविधियों जैसे पर्यटन, यात्रा, केटरिंग, दिल्ली हाटों, गॉर्डन ऑफ फाइव सैन्सिस (जीएफएस), दिल्ली पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (डीआईटीटीएम) इत्यादि में हानि वहन की।

प्रबंधन ने तथ्यों की पुष्टि की (मार्च 2015)।

2.2.2.2 सरकारी अनुदानों का उपयोग

मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कंपनी द्वारा परियोजनाओं के गलत संकल्पीकरण तथा अन्य एजेंसियों के साथ पर्याप्त समन्वय तथा प्रभावी अनुसरण की कमी के कारण सरकारी अनुदानों के उपयोग में विलंब को प्रदर्शित किया गया। तथापि वहाँ यह दर्शाने के लिए कोई प्रमाण नहीं था कि कंपनी ने चिन्हित गतिविधियों पर अनुदानों के विवेकपूर्ण तथा दक्षतापूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सुधारक कदम उठाने शुरू किए थे। अनुदानों से संबंधित कमियों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए है:

(i) कम्पनी ने अनुदानों के उपयोग के सम्बन्ध में पूर्ण समर्थित दस्तावेज (संस्वीकृति पत्र, उपयोगिता प्रमाण–पत्र इत्यादि) प्रदान नहीं किए। अनुदानों से संबंधित उपलब्ध सूचना एवं 2010–13 के वर्षों के तुलन–पत्रों में दिखाए गए आंकड़ों की जाँच से पता चला कि अव्ययित अनुदानों में ₹ 9.99 करोड़ का अंतर था। यह दर्शाता है कि कम्पनी ने अनुदानों के उपयोग की मानिटरिंग नहीं की तथा पूर्ण समर्थित दस्तावेजों के अभाव में लेखापरीक्षा में चिह्नित गतिविधियों पर अनुदानों के वास्तविक तथा सामयिक उपयोग को सत्यापित नहीं किया जा सका।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2015) कि इसने 2014–15 से विस्तृत अनुदान रजिस्टर बनाना आरंभ किया है। उत्तर में तथापि 2009–14 की अवधि के लिए अनुदानों की प्राप्ति तथा उपयोग के विवरण नहीं लगाए गए थे।

(ii) रा.रा.क्षे.दि.स. के योजना विभाग ने त्यौहारों तथा कार्यक्रमों के लिए व्यय की संस्वीकृति के प्रस्ताव की जाँच करते समय कंपनी को अनुदानों पर निर्भरता को कम करने के निर्देश दिए (मार्च 2010)। हालांकि कंपनी ने इस दिशा में पर्याप्त प्रयास नहीं किए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी, कार्यक्रमों के संचालन हेतु पूरी तरह से अनुदानों पर निर्भर थी और 2009–14 के दौरान ₹ 13.10 करोड़ के समस्त व्यय को अनुदानों से पूरा किया गया सिवाय 2013–14 के दौरान जब इसने ₹ 0.14 करोड़ अपने संसाधनों से व्यय किया।

प्रबंधन ने मार्च 2015 में कहा कि यह कार्यक्रमों के आयोजन इत्यादि के लिए कार्यन्वित एजेन्सी है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि रा.रा.क्षे.दि.स. के योजना विभाग ने त्यौहारों के आयोजन के लिए प्रस्तावों में भागीदार फार्मूला को शामिल करने के अनुदेश दिए थे (मार्च 2011)।

(iii) कम्पनी ने प्रचार हेतु वर्ष 2010–11 में ₹ 4.36 करोड़ के अनुदान में से केवल ₹ 1.53 करोड़ का उपयोग किया। इसने ₹ 2.83 करोड़ के अव्ययित अनुदान का अभ्यर्पण नहीं किया बल्कि वर्ष 2011–12 के दौरान इसमें से ₹ 0.97 करोड़ का अनियमित ढंग से उपयोग किया। प्रबंधन ने कहा (मार्च 2015) कि 2011–12 के दौरान ₹ 2.50 करोड़ खर्च किया गया और 2012–14 के दौरान ₹ 1. 87 करोड़ वापिस किया गया। प्रबंधन का उत्तर इस लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की पुष्टि करता है कि कंपनी ने वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. के अनुमोदन के बिना अनुदान रखे।

(iv) कंपनी ने जुलाई 2011 में नावों की खरीद हेतु प्राप्त ₹ 0.35 करोड़ के अप्रयुक्त अनुदान को अभ्यर्पित नहीं किया। प्रबंधन ने कहा (मार्च 2015) कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने इसे निधियों के उपयोग की अनुमति दी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि योजना विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कंपनी को और निधियाँ की मांग से पहले ₹ 0.35 करोड़ के अनुदान का उपयोग करने के निर्देश दिए (दिसंबर 2013)।

(v) मयूर विहार दिल्ली हाट में प्रस्तावित विद्युत सेवाओं के स्थानांतरण हेतु पावर विभाग, रा.रा. क्षे.दि.स. से प्राप्त ₹ 9.01 करोड़ में से ₹ 2.06 करोड़ का अव्ययित अनुदान कंपनी द्वारा अप्राधिकृत रूप से रखा गया तथा केवल दिसंबर 2014 में इसे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात अभ्यर्पित किया गया।

(vi) सितंबर 2012 में भा.स. द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन के निर्देश दिए जाने के बावजूद कंपनी, मार्च 2009 में 'हुनरसे रोजगार तक' स्कीम के अंतर्गत क्षमता निर्माण के लिए प्राप्त ₹ 0.20 करोड़ की केन्द्रीय सहायता का उपयोग करने में विफल रही तथा इसने केवल ₹ 0.02 करोड़ का उपयोग करने के पश्चात मार्च 2014 में ₹ 0.18 करोड़ का अभ्यर्पण कर दिया। डी.टी.टी.डी.सी द्वारा अपर्याप्त प्रयास के कारण भारत सरकार का पर्यटन उद्देश्य के लिए मानव शक्ति को बनाने का प्रयास विफल रहा। प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि विज्ञापनों के लिए विलम्बित स्वीकृति, बी.पी.एल. के लोगो में स्कीम के बारे में जागरूकता न होना तथा बाह्य संस्थाओं पर निर्भरता के कारण प्रशिक्षण सुनियोजित नहीं किया जा सका। उत्तर लेखापरीक्षा विचार की पुष्टि करता है।

2.2.3 पर्यटन–नीति एवं योजना

2.2.3.1 पर्यटन नीति एवं परिप्रेक्ष्य योजना का अभाव

दिल्ली में डी.टी.टी.डी.सी, शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने की एजेन्सी की भूमिका निभा रहा है। तथापि यह देखा गया कि रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की उत्पत्ति के 20 वर्ष बाद भी (1993) राष्ट्रीय पर्यटन नीति के अनुसार दिल्ली राज्य के लिए कोई पर्यटन नीति परिभाषित नहीं की गई थी। कंपनी ने भी अपने गठन के 39 वर्ष (1975) के बावजूद भी शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कोई परिप्रेक्ष्य योजना नहीं बनाई।

सरकार ने कहा (मार्च 2015) कि इस उद्देश्य के लिए बनी एक समिति द्वारा दिल्ली के लिए प्रारूप पर्यटन नीति की तैयारी शुरू की गई है।

2.2.3.2 जोखिमों व पर्यटन प्रोत्साहन पर गतिविधियों के प्रभाव का निर्धारण न होना

रा.रा.क्षे.दि.स के योजना विभाग ने मार्च 2010 में कंपनी को पर्यटन गतिविधियों का पता लगाने तथा अनावश्यक स्कीमों को निकालने के लिए उनके प्रभाव का निर्धारण करने के अनुदेश दिए थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि कंपनी ने न तो आवश्यक प्रधान क्षेत्रों को चिन्हित किया, न ही पर्यटन बढ़ाने पर की गई गतिविधियों के परिणाम का मूल्यांकन किया जिससे निरर्थक गतिविधियो को हटाया जा सके। इस प्रकार कंपनी शहर में पर्यटन को बढ़ाने की विवेकपूर्ण योजना का निर्माण करने में पूर्णतः असमर्थ थी। प्रबंधन ने स्वीकार किया (मार्च 2015) कि कोई रोड मैप अथवा व्यापार योजना नहीं बनाई गई थी। आगे यह कहा कि कमजोर तथा सुदृढ़ मुख्य क्षेत्रों को निर्दिष्ट करने हेतु उच्च स्तर पर नियमित बैठकें की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एक व्यापार योजना तैयार करने के लिए उसके द्वारा निष्पादित गतिविधियों के जोखिमों तथा प्रभाव को निर्धारित करना कम्पनी द्वारा अत्यावश्यक है।

2.2.3.3 पर्यटक अंतर्वाह के आधारभूत आंकड़ो का गैर–अनुरक्षण

दिल्ली में घरेलू तथा विदेशी आगन्तुकों की कुल संख्या 2009–14 की अवधि के दौरान दोगुनी हो गई (2009–10 में 107.92 लाख तथा 2013–14 में 225.17 लाख)। दिल्ली शहर को देश में आने वाले एक तिहाई से अधिक विदेशी पर्यटकों का सौभाग्य प्राप्त था, इसलिए इसे विदेशी पर्यटकों के प्रवेश से लाभ उठाने की क्षमता थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि दिल्ली में पर्यटक अंतर्वाह समग्र रुप से 108 *प्रतिशत* की वृद्धि को दिखाता था जबकि कंपनी के स्वामित्व में आने वाले पर्यटक स्थलों पर यह 2009–14 में केवल 30 *प्रतिशत* तक बढ़ा। तथापि कंपनी ने अपनी गतिविधियों को रूचि के अनुसार बनाने तथा योजना बनाने के लिए पर्यटकों की क्षेत्रीय रुपरेखा को निश्चित तथा विश्लेषित करने के लिए सांख्यिकीय आंकड़ें नहीं रखे।

प्रबंधन ने स्वीकार किया (मार्च 2015) कि इसके पास विदेशी तथा क्षेत्रीय पर्यटकों के आंकड़ें रखने हेतु कोई तंत्र नहीं था तथा उनके पर्यटन स्थानों पर विदेशी पर्यटकों के अंतर्वाह के आंकड़ों के अनुरक्षण का आश्वासन दिया। उत्तर लेखापरीक्षा विचार की पुष्टि करता है कि कंपनी ने पर्यटन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान के लिए सांख्यिकी आंकड़ों का उपयोग नहीं किया जिससे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु प्रक्रिया बनाई जा सके।

2.2.3.4 पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु विपणन नीति

विज्ञापन विदेशी तथा घरेलू दोनों पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रचार का एक आसान तरीका प्रदान करता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि विज्ञापन तथा प्रचार पर व्यय 2009–10 में ₹ 0.36 करोड़ से बढ़ कर 2013–14 में ₹ 0.67 करोड़ हो गया, यह कंपनी के पर्यटन स्थल पर आगन्तुकों तथा राजस्व उत्पति की गिरती हुई प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए किसी विश्लेषण पर आधारित नहीं था। जैसा कि नीति अथवा मापकों का निर्णय विज्ञापनों के जारी होने से पहले नहीं किया गया था, कंपनी ने तदर्थ आधार पर विज्ञापन किए। इसके अतिरिक्त विपणन योजना के चयन के लिए कोई नीति या मानक नहीं थे।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2015) कि कार्यक्रमों का विज्ञापन तथा प्रचार रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों के अनुसार किया गया है और बाजार सर्वेक्षण करना कंपनी पर एक अतिरिक्त भार होगा। आगे यह भी कहा कि प्रकाशन को उनके ब्रांड विशेषज्ञता, आंकड़ों की विभिन्नता तथा प्रकाशन प्रस्तावों के द्वारा दिए जा रहे प्रकटन के आधार पर चुना जाता हैं। स्थान का विज्ञापन कॉरपोरेट प्रचार का हिस्सा बताया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी के लिए अनिवार्य था कि कम से कम बाजार प्रवृत्तियों का आंतरिक विश्लेषण किया जाए जिसमें अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं होता।

2.2.3.5 रा.रा.क्षे. के पर्यटन विभाग के साथ समझौता ज्ञापन

समझौता ज्ञापन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) तथा सरकार के बीच समझौता ज्ञापन में सम्मिलित वार्षिक निर्धारित लक्ष्यों के प्रति सा.क्षे.उ. के निष्पादन की निगरानी करने की एक व्यवस्था है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि समझौता ज्ञापन में, कंपनी के लक्ष्यों को निर्धारित कर, सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष के आरंभ से पहले अनुमोदन हेतु रा.रा.क्षे.दि.स. को नहीं भेजा गया था अपितु देर से भेजा गया जिसे **तालिका 2.2.2** में दिया गया है:

तालिका 2.2.2
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में विलंब

वर्ष	पर्यटन विभाग को समझौता ज्ञापन भेजने की तिथि	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तिथि
2009–10	07 सितंबर 2010	कंपनी को ज्ञात नहीं
2010–11	23 अगस्त 2010	कंपनी को ज्ञात नहीं
2011–12	12 जनवरी 2012	27 फरवरी 2012
2012–13	कंपनी में संबंधित अभिलेखों को खोजा नहीं जा सका	
2013–14	14 अक्तूबर 2013	24 अक्तूबर 2013

(स्त्रोतः कम्पनी से प्राप्त सूचना)

इस प्रकार कंपनी के पास विभाग के साथ हस्ताक्षरित स.ज्ञा. के पूरे विवरण भी नहीं थे। स.ज्ञा. वित्त वर्ष के बिल्कुल अंत में तैयार व हस्ताक्षरित किये गये जिस कारण जहाँ तक लक्ष्यों को निर्धारित तथा प्राप्त करने का संबंध है, निरर्थक हो गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2011–12 तथा 2013–14 में नियत लक्ष्यों को 2011–12 में मद्य डिविजन तथा 2013–14 में इंजीनियरिंग तथा केटरिंग डिविजनों के सिवाए, प्राप्त नहीं किया गया। प्रबंधन ने कहा (मार्च 2015) कि इस संबंध में भविष्य में पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा।

2.2.4 पर्यटन गतिविधियाँ

कंपनी घरेलू तथा भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए पर्यटन स्थान के रुप में दिल्ली के समस्त विकास तथा उन्नति हेतु अधिदेशाधीन है। कंपनी, इच्छित अधिदेश को प्राप्त करने के लिए दो दिल्ली हाटों, एक गार्डन ऑफ फाईव सेंसिस, पर्यटन, यात्रा, केटरिंग डिविजनों तथा पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन का दिल्ली संस्थान (डी.आई.टी.टी.एम.) के जरिए विभिन्न पर्यटन गतिविधियाँ करती है। इन गतिविधियों के विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चलाः

2.2.4.1 दिल्ली हाट्स तथा गार्डन ऑफ फाइव सेंसिस (जी.एफ.एस.): वित्तीय विश्लेषण

(i) दिल्ली हाट, आई.एन.ए. (डी.एच.– आई एन ए): इसका निर्माण 1992 मे न.दि.न.नि. द्वारा आवंटित भूमि पर खाद्य एवं शिल्प बाजार को चलाने के लिए किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि डी.एच–आई.एन.ए. ने 2009–14 की अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृति को दर्शाते हुए ₹ 17.50 करोड़ का लाभ कमाया। तथापि लाभ में वृद्धि पूरी तरह से अधिक पर्यटक आने के कारण नहीं थी बल्कि अप्रैल 2011 से मार्च 2014 के दौरान प्रवेश टिकट दरों, खाद्य तथा शिल्प स्टॉलों के किराया प्रभारों में परिवर्तन के कारण भी थी ***(अनुलग्नक 2.2.2)***।

(ii) दिल्ली हाट, पीतमपुरा (डी एच– पी पी) : इस हाट का निर्माण अप्रैल 2008 में दि वि प्रा से ली गई भूमि पर भारत के पारंपरिक आदिवासीय तथा ग्रामीण कला एवं हस्तशिल्प को सुरक्षित करने के लिए दिल्ली में अधिक पर्यटन संरचना उत्पन्न करने के कंपनी के प्रयास के रूप में किया गया था। डी एच – पी पी ने 2009–14 के दौरान ₹ 5.58 करोड़ की हानि वहन की। हानि के कारणों में आगन्तुकों की कम संख्या, खाद्य स्टॉलों, हॉल बुकिंग से कम आय तथा उच्च निर्धारित लागतें जैसे कर्मचारी लागत, मूल्य ह्रास, दि.वि.प्रा. को राजस्व हिस्सा, विद्युत, जल प्रभार इत्यादि उत्तरदायी बताए गए। इस अवधि के दौरान अकेले वेतन तथा मजदूरी पर व्यय कुल आय का 60 से 81 *प्रतिशत* तक था **(अनुलग्नक 2.2.2)**।

(iii) गार्डन ऑफ फाइव सेंसिस (जी एफ एस): जी.एफ.एस. का उद्घाटन फरवरी 2003 में किया गया, इसकी रुपरेखा स्पर्श, गन्ध, दृष्टि, आवाज तथा स्वाद के प्रति जागृति उत्पन्न करने हेतु रंग, सुगन्ध, प्रकृति एवं बनावट के सम्मिश्रण से पर्यावरण के प्रति किसी की संवेदी प्रतिक्रियाओं को जाग्रत करने हेतु की गई। इस बाग से तथापि 2009–14 के दौरान बहुत कम आगन्तुक संख्या, कम स्थल की बुकिंग्स तथा उच्च निर्धारित लागतों की वजह से कम आय के कारण ₹ 1.60 करोड़ की हानि हुई। जी.एफ.एस. के मामले में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय कुल आय का 46 से 76 प्रतिशत था **(अनुलग्नक 2.2.2)**।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2015) कि डी.एच–आई.एन.ए. के पास दिल्ली मैट्रो कार्य ने पिछले दो वर्षों के दौरान आगन्तुकों की संख्या को प्रभावित किया तथा डी.एच–पी.पी अपने स्थान के कारण अधिक पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर रहा है। हालांकि त्यौहारों के आयोजन तथा स्टॉलों की संपूर्ण अधिभोक्ता जैसे प्रयास आगन्तुकों को आकर्षित करेंगे। जी एफ एस के लिए, राजस्व बढ़ने तथा लागत तत्व कम करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। फिर भी तथ्य यह है कि डी एच–पी पी तथा जी एफ एस ने 2009–14 के दौरान हानियाँ अर्जित की।

2.2.4.2 हाटों में आगन्तुकों की कमी तथा शिल्प स्टॉलो के अधिभोग में अवनति की प्रवृति

(i) राष्ट्रीय पर्यटन नीति खरीदारी को पर्यटन अनुभव के अभिन्न अंग तथा राजस्व के लिए मूल्यवान अंशदान के रुप में पहचान देती है। यह पारंपरिक शिल्प के लिए बने हुए खरीदारी केन्द्रों के विकास पर जोर देती है। डी.एच–आई.एन.ए. तथा डी. एच–पी.पी, सार्वजनिक स्थल के रूप में भारतीय कला तथा शिल्प, संस्कृति तथा पाक–प्रणाली की प्रदर्शनी के रुप में विकसित किए गए थे जहाँ लोग (घरेलू के साथ साथ विदेशी आगन्तुक) कारीगर के साथ सीधे तौर से बातचीत कर सकते थे तथा पारंपरिक ग्रामीण हाट अथवा 'गाँव बाजार' का परिवेश प्रदान किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि डी.एच– आई.एन.ए पर आगन्तुकों की संख्या 2009–10 में 1149861 से बढ़कर 2011–12 में 1566115 हो गई परन्तु उसके पश्चात इसमें गिरावट आई। डी. एच.– पी.पी. भी, जिसे एक बार 2008 में धरोहर श्रेणी में पैसीफिक एरिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, आगन्तुकों की संख्या में 2010–11 में 377663 से 2013–14 में 276527 की कमी से अपनी पूर्व संरक्षणता बनाए रखने को संघर्षरत था। इसके आगे यह भी पाया गया कि बच्चों का आगमन, 2010–11 में 36329 से घटकर 2013–14 में 13399 हो गया।

इसके अतिरिक्त कम्पनी में इसके अपने पर्यटन स्थलों में आगंतुकों की कमी की जाँच के लिए कोई व्यापार नीति नहीं थी। हाट, जो भारतीय कला व शिल्प तथा संस्कृति व पाक–कला के प्रदर्शन के रूप में विकसित किए गए थे, में उन बच्चों को आकर्षित करने हेतु कोई व्यापार नीति नहीं थी जो मार्गदर्शी के रूप में पूरे परिवार के साथ आते तथा युवा प्रभावनीय मनोभावों पर कला व संस्कृति के प्रति प्रोत्साहन को आरंभ करते।

प्रबंधन ने डी.एच–आई.एन.ए. में दि.मै.रे.नि. का निर्माण प्रारंभ होने के कारण पार्किंग क्षेत्र की गैर–उपलब्धता तथा डी एच–पी पी के कम आकर्षित स्थान को आगन्तुकों की कम प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी माना (मार्च 2015)। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये प्रतिबंध व्यापार जोखिम घटक हैं जिनको संबोंधित किया जाना चाहिए।

(ii) डी.एच–पी.पी में 108 शिल्प स्टॉल हैं जिसमें से 31 सीधे तौर से डी.एच– पी.पी द्वारा प्रबंधित थे तथा 77 स्टॉल विभिन्न सरकारी एजेन्सियों को दीर्घकालीन आधार पर किराए पर दिए गए थे। 2009–14 के दौरान डी.एच– पी.पी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 31 स्टॉलों में से (सितंबर 2011 से 21 स्टॉल) 20 स्टॉल तक (सितंबर 2011 से 15) रिक्त पड़े थे। विभिन्न सरकारी एजेन्सियों को आबंटित 77 स्टॉलों के मामले में डी.एच– पी.पी ने अधिभोग का कोई अभिलेख नहीं रखा था, यद्यपि उनमें से अधिकतर रिक्त पड़े थे, क्योंकि इन एजेन्सियों ने इन स्टॉलों को बाद में विक्रेता को आबंटित नहीं किया जैसाकि वांछनीय था जो अंततः भारतीय कला तथा शिल्प को दिखाने में विफल रहा। डी एच–आई एन ए में यद्यपि अधिकतर शिल्प स्टालों का अप्रैल 2011 से मार्च 2014 के दौरान (2009–11 के लिए सूचना प्रस्तुत नहीं की गई) अधिभोग हुआ, अप्रैल 2013 से सितंबर 2013 के दौरान 166 स्टालों में से एक से 26 स्टाल रिक्त पड़े रहे। इसके अतिरिक्त डी एच–आई एन ए द्वारा शिल्पकारों तथा बुनकरों के आंकड़े नहीं रखे गए थे जिससे स्टॉलों का अप्राधिकृत अधिभोग तथा अनुज्ञेय मदों की बिक्री का निवारण सुनिश्चित हो सके। शिल्पकारों के आंकड़े के गैर–अनुरक्षण की पुष्टि करते समय प्रबंधन ने भी कहा (मार्च 2015) कि गैर–अधिभोग का मामला सभी एजेंन्सियों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था कि स्टॉल रिक्त न रहें।

2.2.4.3 दिल्ली हाट में रिक्त खाद्य स्टालों के कारण ₹ 1.09 करोड़ की हानि

वहाँ पर 45 खाद्य स्टॉल (डी.एच– आई.एन.ए में 25 तथा डी.एच– पी.पी में 20) हैं जो विभिन्न राज्य पर्यटन निगमों, मानवजातीय मूल्यों के एन.जी.ओ. तथा अन्य निजी उपक्रमियों को उनकी क्षेत्रीय पाक–प्रणाली का प्रचार करने हेतु, आबंटित किए गए है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2009–14 के दौरान कुल 2700 उपलब्ध स्टॉल महीनों[1] में से 866.5 स्टॉल महीनों के खाद्य स्टाल (डी.एच– आई.एन.ए में 125.5 महीने तथा डी.एच– पी.पी 741 महीने के) रिक्त पड़े थे जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को ₹ 1.09 करोड़ की हानि हुई। कम अधिभोग ने भी अपर्याप्त भारतीय पाक–प्रणाली को प्रतिबिंबित किया। अगस्त 2013 से डी एच–पी पी के सभी भोजन स्टाल एक निजी संचालक को आबंटित किए गए परंतु पाँच को छोड़कर ये संचालन में नहीं थे क्योंकि इनका नवीकरण आवश्यक था। संचालक ने भी नवम्बर 2013 से किराए का भुगतान बंद कर दिया जिससे जून 2014 तक ₹ 0.19 करोड़ की प्राप्ति नहीं हुई।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2015) कि डी एच–पी पी के बकायों के गैर–भुगतान हेतु संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यद्यपि इन स्टालों को संचालनीय किए जाने हेतु की गई कार्यवाही के विषय में उत्तर में कुछ भी नहीं कहा गया है।

2.2.4.4 सांस्कृतिक कार्यक्रमों को नियमित आधार पर न किया जाना

राष्ट्रीय पर्यटन नीति सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नियमित तथा वैविध्यपूर्ण कैलेंडर के साथ भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रुप में दिल्ली को स्थापित करने की सिफारिश करती है। 2009–14 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की सूचना की संवीक्षा ने दर्शाया कि कुछ कार्यक्रमों को छोड़कर कंपनी ने नियमित आधार पर सांस्कृतिक प्रसंग आयोजित नहीं किए। कंपनी ने पाँच से 14 के बीच ही त्यौहार आयोजित किए। यद्यपि, डी.एच.–पी.पी. ने इस अवधि के दौरान जब ऐसे कार्यक्रम किये तो आगन्तुको की संख्या बढ़ने के बावजूद भी केवल चार से आठ कार्यक्रम ही किए गए।

प्रबंधन ने मार्च 2015 में बताया कि इसने सितम्बर 2014 से नियमित रूप से कार्यक्रमों का आयोजन आरंभ कर दिया था। इसके आगे यह कहा गया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु केलैंण्डर विभागीय एवं निगम के स्तर के अतिरिक्त अन्य एजेंसियों के साथ भी तैयार किया गया। यद्यपि उत्तर की पुष्टि हेतु आयोजनों का कोई केलैंण्डर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

2.2.4.5 पर्यटन डिविजन

मंडल की कुल बिक्री (मुख्यतः साहसिक गतिविधियों से प्राप्त प्राप्तियाँ, नौकाविहार तथा स्कूल टूर, होटल आरक्षण व परिवहन सेवाएं) 2009–10 में ₹ 12.25 करोड़ से कम होकर 2013–14 में ₹ 10.33 करोड़ हो गई। मंडल ने इस अवधि के दौरान ₹ 28.30 करोड़ की हानि वहन की क्योकि कार्यों के लिए केवल सामग्री लागत ही कुल आय का 61 से 86 *प्रतिशत* थी और वेतन तथा मजदूरी 39 से 166 *प्रतिशत* के बीच थी **(अनुलग्नक 2.2.3)**। चूंकि कंपनी वाणिज्यिक पद्धतियों पर चलती है, या तो सेवाओं की लागत को वसूल किया जाना चाहिए या हानि को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए थे।

[1] उपलब्ध स्टॉल महीनेः 45 स्टॉल × 5 वर्ष ×12 महीने

(i) पर्यटन मंडल द्वारा आयोजित स्थानीय और बाह्य दौरों के लिए, परिवहन इकाई किराए पर वाहन उपलब्ध कराती है। परिवहन सेवाओं की व्यवस्था अपने स्वयं की चार बसों तथा 14 हल्के वाहनों के बेड़े के अतिरिक्त कमीशन के आधार पर वाहनों को किराए पर ले कर किया जाता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मंडल ने मुख्य घटक कर्मचारी लागत होने के कारण 2009–14 के दौरान अपने बेड़े के प्रबंधन पर ₹ 9.65 करोड़ की हानि वहन की **(अनुलग्नक 2.2.4)**।

वाहनों की तैनाती से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा ने पर्यटन उद्देश्य हेतु वाहनों के अपर्याप्त संचालन को दर्शाया जो 20 और 25 *प्रतिशत* के बीच में था। शहर में पर्यटन को बढ़ाने हेतु व्यावसायिक योजना को इकाई स्तर पर नहीं बनाया गया था तथा कम्पनी का केंद्र बिंदु इससे हटकर सरकारी विभागों को वाहन प्रदान करना हो गया था। 2009–12 के दौरान पर्यटकों को आकर्षित करने कि लिए कोई नया यात्रा पैकेज प्रस्तुत नहीं किया गया। 2012–13 में केवल एक तथा 2013–14 में दो नये यात्रा पैकेज आरंभ किए गए थे। कंपनी ने 10 राज्य पर्यटन निगमों के साथ एम.ओ.यू पर हस्ताक्षर किए परन्तु इससे सिवाय 2012–13 में एक यात्रा पैकेज के, जिसमें केवल ₹ 0.01 करोड़ का राजस्व उत्पन्न हुआ कोई प्रत्यक्ष व वित्तीय उपलब्धियाँ नहीं प्राप्त हुई।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2015) कि परिवहन विभाग की भूमिका अपने वाहन समूह को बनाए रखना था और 2012–14 में आरंभ किए गए तीन में से एक यात्रा पैकेज को लोकप्रियता प्राप्त हुई। इसमें आगे कहा गया कि घाटा वेतन के भारी बोझ के कारण था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि घाटे के बावजूद कंपनी ने यात्रा पैकेजों को लोकप्रिय बनाने या वेतन राशि को कम करने के कदम नहीं उठाए।

(ii) साहसिक पर्यटनः साहसिक पर्यटन साहसिक गतिविधियों के कार्यों के प्रति विशेष रूचि रखने वाले युवा पर्यटकों के आवश्यकता पूर्ण करता है, जैसाकि राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 में परिभाषित है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु गतिविधियाँ नहीं की तथा इसकी गतिविधियों को केवल नौका विहार तक सीमित कर दिया। गतिविधियाँ जैसे पैरासेलिंग, रॉक क्लाइबिंग, ट्रेकिंग इत्यादि नहीं की गई।

आठ में से केवल दो नौका विहार स्थानों ने ₹ 0.40 करोड़ का लाभ अर्जित किया जबकि छः स्थानों में ₹ 1.81 करोड़ की हानि हुई अर्थात कुल ₹ 1.42 करोड़ की हानि हुई। यहाँ तक कि कंपनी, हानि वाले नौकाविहार स्थानों में वेतन व्यय की वसूली के लिए भी समर्थ नहीं थी। प्रबंधन ने बताया (मार्च 2015) कि घाटे में रहने वाले नौकायन स्थलों पर लाभ– अलाभ स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न हो रहा है। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसमें साहसिक गतिविधियों में विविधता लाने और लाभ को इष्टतम करने हेतु किए गए प्रयत्नों के बारे में व्याख्या नहीं की गई है।

इसके अतिरिक्त भा.स. के पर्यटन मंत्रालय ने नौकाओं में जीवन रक्षक जैकटों/सुरक्षा उपायों की व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की ओर रा.रा.क्षे.दि.स. के पर्यटन विभाग को निर्देश दिया (जुलाई 2011) कि वह उपयुक्त कार्यवाही करे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीवनरक्षक जैकटों की उपलब्धता झीलों में नौकाओं की संख्या के अनुपात में नहीं थी। इंडिया गेट झील में 45 नौकाओं की तुलना में मात्र पाँच जीवनरक्षक जैकट उपलब्ध थे।

(iii) होटल आरक्षण व्यापार : कंपनी के पास अपने पैनल में 45 होटल हैं जिनके साथ यह कमीशन के आधार[2] पर होटल आरक्षण का व्यापार करता है। 2009–14 के दौरान

[2] डी टी टी डी सी वाऊचर के प्रति, कमरे के पहले दिन के किरा, का 50 प्रतिशत

इसने इस व्यापार से ₹ 0.11 करोड़ कमाया। यह पाया गया कि व्यापार कमाई 2009–10 में ₹ 0.03 करोड़ से कम होकर 2013–14 में ₹ 0.01 करोड़ हो गई परन्तु इस प्रवृति पर अंकुश लगाने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। इसके अतिरिक्त होटलों के पैनल के आवधिक रुप से पुनरीक्षण की कोई प्रणाली नहीं थी, इसकी बजाए पैनल में होटलों को जोड़ा गया, जब कभी किसी होटल द्वारा अनुरोध किया गया। कंपनी ने होटलों के साथ कोई लिखित समझौता नहीं किया था तथा होटलों की अवसंरचना और उनमें उपलब्ध सुविधाओं को निरीक्षित करने की कोई प्रणाली नहीं थी।

प्रबंधन ने कहा (सितंबर 2014) कि यद्यपि समझौते पर हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं समझा गया था, डी टी टी डी सी के नीति निर्देशों का पालन किया गया जब होटलों को सूची में सम्मिलित किया जा रहा था। आगे यह भी कहा गया कि होटलों के निरीक्षण का उत्तरदायित्व लाइसेंसिंग प्राधिकारियों का था। प्रबंधन ने व्यवसाय में कमी हेतु अगस्त 2010 से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सूचना काउंटर बंद होने को जिम्मेदार ठहराया (मार्च 2015)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समझौता, सहमति शर्तों एवं प्रतिबंधों को लागू करने के लिए आवश्यक है। आवधिक निरीक्षण अथवा होटलों के सर्वेक्षण के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता क्योंकि यह होटलों में सेवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। सूचना काउंटर बंद होने के बाद 2010 के बाद होटल व्यवसाय में इस कमी को रोकने के लिए कोई अन्य माध्यम नहीं खोजे गए।

2.2.4.6 यात्रा डिविजन

डिविजन की कुल बिक्री हवाई टिकट बुकिंग तथा विदेशी मुद्रा विनिमय से बनती है। यद्यपि कुल बिक्री 2009–10 में ₹ 1.93 करोड़ से बढ़कर 2013–14 में ₹ 2.59 करोड़ हो गई, हानि 2009–10 में ₹ 0.52 करोड़ से बढ़कर 2013–14 में ₹ 0.73 करोड़ हो गई। 2009–14 के दौरान गतिविधियों के लिए सामग्री की लागत कुल बिक्री का 95 से 96 *प्रतिशत* बना तथा वेतन तथा मजदूरी 16 और 23 *प्रतिशत* के बीच था **(अनुलग्नक 2.2.3)**। इस प्रकार हवाई टिकट बुकिंग तथा विदेशी मुद्रा विनिमय से अर्जित धनराशि वेतन तथा मजदूरी के व्ययों को पूरा करने में पर्याप्त नहीं थी और डिवीजन को 2009–14 के दौरान ₹ 2.63 करोड़ की कुल हानि हुई।

प्रबंधन ने (मार्च 2015) एयरलाईनस द्वारा कमीशन में कमी करने, विदेशी विनिमय बिक्री में कमी तथा पर्यटन व्यापार में कमी को हानि के लिए उत्तरदायी ठहराया। प्रबंधन ने आगे कहा कि 2014–15 में उन्होंने एक ट्रैवल एजेन्सी के साथ मिलकर ऑनलाइन व्यापार शुरू किया तथा बिक्रियों में सुधार हेतु कदम उठाए जा रहे थे। तथ्य यह है कि वर्ष 2009–14 के दौरान आय में वृद्धि के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।

2.2.4.7 केटरिंग डिविजन

दिल्ली में कंपनी के आठ कॉफी होम्स तथा दो कैंटीन (दिल्ली विधान सभा तथा सचिवालय) हैं। कनॉट प्लेस का कॉफी होम कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है जबकि इ.गां.अं हवाई अड्डा का कॉफी होम जून 2000 में बंद हो गया था। अन्य छः कॉफी होम्स निजी दलों को संचालन के

लिए दिये गये थे। केटरिंग डिविजन में 2009–14 के दौरान ₹ 1.37 करोड़ की हानि हुई, जैसा कि **तालिका–2.2.3** में वर्णित है:

तालिका 2.2.3
केटरिंग डिविजन की आय तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	कुल
आय	2.65	2.64	3.07	4.11	4.33	16.80
व्यय	2.72	2.75	3.19	4.30	5.21	18.17
हानि	(–) 0.07	(–) 0.11	(–) 0.12	(–) 0.19	(–) 0.88	(–) 1.37

(स्रोतः कम्पनी से प्राप्त दस्तावेज)

(i) बाह्य स्त्रोत को दिये कॉफी होम्सः लेखापरीक्षा में पाया गया कि पाँच कॉफी होम्स ने 2009–14 के दौरान ₹ 4.59 करोड़[3] का लाभ अर्जित किया जो हालांकि विधान सभा कैंटीन, कनॉट प्लेस, बिंदापुर (बाह्यस्त्रोत) तथा इं गां अं हवाई अड्डा के कॉफी होम में हुई हानि से कम हो गया था।

(ii) दिल्ली विधान सभा कैंटीनः कैंटीन शुरू से हानि वहन कर रही थी परंतु कंपनी ने विधान सभा सचिवालय के साथ हानि की प्रतिपूर्ति का मामला नहीं उठाया। इसे मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में भी इंगित किया गया था। प्रबंधन ने कहा (मार्च 2015) कि मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे.दि.स. तथा सचिव, विधान सभा को प्रचालनों का आउटसोर्स तथा हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए अनुरोध किया है।

(iii) कंपनी संचालित कॉफी होम्सः

(अ) कनॉट प्लेस का कॉफी होमः कनॉट प्लेस के कॉफी होम के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि उपयोग की गई सामग्री की लागत 60.65 और 73.86 *प्रतिशत* के बीच थी, जबकि वेतन तथा मजदूरी कुल राजस्व का 53.46 से 64.91 *प्रतिशत* रहा जिसके कारण 2009–14 के दौरान ₹ 3.28 करोड़ की हानि हुई। अतः कॉफी होम का संचालन अलाभकारी था तथा इसे विभागीय तौर से चलाने हेतु बुद्धिसंगत कार्यनीति की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खाने की दरों में नियमित आधार पर कीमत सूचकांक, वेतन तथा मजदूरी इत्यादि में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बदलाव नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त दरें न तो निर्दिष्ट खाद्य लागत और न ही किसी सुसंगत मानकों पर आधारित थीं। नयी मदों तथा सेवाओं को जोड़ने में नवीनता और दरों में संशोधन हेतु उचित मानकों के अभाव के कारण कॉफी होम ग्राहकों की कमी की प्रवृत्ति से ग्रस्त है।

प्रबंधन ने नियमित आधार पर दरों तथा मदों के गैर–संशोधन को ग्राहकों द्वारा विरोध और खराब प्रतिक्रिया को उत्तरदायी ठहराया (अक्तूबर 2014), तथा कहा कि दरें समिति द्वारा संशोधित (औसत 10 से 15 *प्रतिशत*) की जाती है। इसने आगे कहा (मार्च 2015) कि वित्तीय भार को कम करने हेतु जनशक्ति में तर्कसंगत कमी करने तथा राजस्व सुधार के लिए विभिन्न प्रयास,

[3]लक्ष्मी नगर (₹ 0.90 करोड़), आर.के.पुरम (₹ 2.45 करोड़), मीडिया कॉफी होम (₹ 0.25 करोड़), विकास पुरी (₹ 0.41 करोड़) तथा शहीद भगत नसह प्लेस कॉफी होम (₹ 0.58 करोड़)

प्रक्रियाधीन थे। उत्तर लेखापरीक्षा के तर्क की पुष्टि करता है कि कंपनी को वाणिज्यिक इकाई होने के कारण इस ढंग से कार्य करना चाहिए कि वह कम से कम अपनी इनपुट लागतों को वसूल कर सके।

(ब) इं गां अं हवाई अड्डा में बंद कॉफी होम को ए.ए.आई. को सौंपे जाने में विलम्बः कंपनी ने एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (ए.ए.आई) द्वारा 1992 में इं गां अं हवाई अड्डा के टर्मिनल–II के पास 30 वर्ष की अवधि के लिए आवंटित भूमि पर कॉफी होम का निर्माण किया। समझौते पर जुलाई 1994 में हस्ताक्षर किए गए तथा कॉफी होम मई 1996 में आरंभ किया गया। कंपनी ने इसके प्रचालन में हानि होने के कारण जून 2000 में इसे बंद कर दिया तथा लाइसेंस शुल्क का भुगतान 2003 तक किया। किराये के भुगतान की आवर्ती हानि के मुद्दे को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन में प्रदर्शित किया गया। पर्यटन विभाग ने, एक्शन टेकन नोट में बताया कि परिसरों के इस्तेमाल में परिवर्तन के लिए एएआई की अनुमति की आवश्यकता थी।

एएआई ने अन्य व्यापार के लिए परिसरों के इस्तेमाल की कम्पनी की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया तथा कम्पनी को परिसरों को खाली करने के लिए कहा। एएआई ने ठेके को मई 2011 में निरस्त कर दिया। कंपनी ने सितंबर 2014 तक परिसर को खाली नही किया था तथा निष्कासन अधिकारी के आदेशानुसार (30 अप्रैल 2014) अपने आपको ₹ 0.77 करोड़ के लाइसेंस शुल्क के लिए दायी बना लिया, साथ ही मजदूरी, करों, कानूनी तथा व्यवसायिक प्रभारों इत्यादि पर ₹ 0.11 करोड़ खर्च किया।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2015) कि क्षेत्र को 19 दिसंबर 2014 को ए.ए.आई. को विमानपत्तन अपीलीय अधिकरण के आदेशानुसार सौंप दिया गया था और बकायों के निपटान हेतु ए.ए.आई. से समझौता वार्ता के सफल न होने की स्थिति में डीटीटीडीसी द्वारा ए.ए.आई. के पास ₹ 0.30 करोड़ जमा किया जाएगा और अपील गुणावगुण के आधार पर दायर की जाएगी। यह तथ्य रह ही जाता है कि कार्यस्थल की सुपुर्दगी में विलम्ब के परिणामस्वरूप कम्पनी की अनधिकृत देयता हुई।

(iv) बाह्य केटरिंग सेवाः बाह्य केटरिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डिवीजन ने केटररों का पैनल बनाया जो डी टी टी डी सी को बिल भेजते, जिसके द्वारा इन बिलों को, बाद में 15 प्रतिशत लाभ मार्जिन तथा 10 *प्रतिशत* सेवा प्रभार जोड़ते हुए ग्राहकों को भेजा जाता। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित का पता चलाः

- कंपनी ने बाह्य केटरिंग सेवाओं से 2009–14 में ₹ 0.35 करोड़ का लाभ अर्जित किया। 31 मार्च 2014 को ₹ 0.26 करोड़ की राशि रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न विभागों से वसूल होने योग्य पड़ी रही यद्यपि कंपनी ने बाह्य केटररों, जिन्होंने सेवाएँ प्रदान की थीं, को भुगतान करने के लिए स्वयं को उत्तरदायी बना लिया।

 प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा (मार्च 2015) कि ₹ 0.06 करोड़ वसूल किए गए है तथा आगे प्रयास किए जा रहे हैं।

- कंपनी के पास केटररों को नियुक्त करने के पैनल के लिए पूर्व–निर्दिष्ट नीति नहीं थी। ₹ 1.16 करोड़ (₹ 3.49 करोड़ में से) के बाह्य केटरिंग व्यवसाय की व्यवस्था उन केटरर्स के माध्यम से की गई जो पैनल में नहीं थे। इसके अतिरिक्त गैर–पैनल केटररों से बाह्य सेवाओं के लिए सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन, कार्योत्तर प्राप्त किए जा रहे थे इसलिए अनुमोदित

प्राधिकारी के पास प्रस्ताव का अनुमोदन करने के सिवाए कोई विकल्प नहीं था। मार्च 2015 में प्रंबधन ने कहा कि उन्हें रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा गैर–पैनल कैटरर से कार्य कराने के लिए बाध्य किया गया था। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह पैनल के तैयार किए जाने के उद्देश्य को न केवल निष्प्रयोज्य कर देती है अपितु पैनल को अमान्य कर देती है। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने उच्च श्रेणी के केटरर्स का पैनल बनाने और कार्योत्तर मंजूरियों से बचने के लिए एम.डी. व सी.ई.ओ. के निर्देशों (मई 2011) का अनुपालन नहीं किया।

- दिल्ली अनुसूचित जाति वित्तीय विकास निगम (डी.एस.सी.एफ.डी.सी) ने जनवरी 2012 में एक कार्यक्रम के लिए डी.टी.टी.डी.सी को शामिल किए बिना मैसर्स सैवन सीस होस्पिटेलिटी (गैर–पैनल केटरर) की केटरिंग सेवाओं को किराए पर लिया। तब भी डी.टी.टी.डी.सी को रा. रा.क्षे.दि.स द्वारा डी.एस.सी.एफ.डी.सी को बिल भेजने तथा केटरर को बिल का भुगतान करने का निर्देश दिया गया (मार्च 2012)। प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा (मार्च 2015) कि इस मामले को छोड़कर उसके द्वारा कोई अन्य मामला नहीं लिया गया था।

2.2.4.8 दिल्ली पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (डी आई टी टी एम)

डी.आई.टी.टी.एम पहले, जो आई.आई.टी.एम ग्वालियर का एक हिस्सा था जिसे जनवरी 1993 में डी.टी.टी.डी.सी द्वारा अपने हाथों में ले लिया गया था। आई.आई.टी.एम ग्वालियर ने डी.आई.टी.टी. एम की मान्यता को वापिस ले लिया क्योंकि डी.टी.टी.डी.सी ने ए.आई.सी.टी.ई. को मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं किया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अपेक्षित अवसंरचना के न होने से, संस्थान किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं था, और अंशकालिक संकाय के माध्यम से अल्पावधि पाठ्यक्रमों को चलाता था। इसके अतिरिक्त उपलब्ध पाठ्यक्रमों का पर्याप्त प्रचार नहीं किया गया था। इसके कारण विद्यार्थियों के नामांकन संख्या 2009–10 में 806 से घटकर 2013–14 में 127 तक रह गई। संस्थान की आय भी 2009–10 में ₹ 0.48 करोड़ से कम होकर 2013–14 में ₹ 0.22 करोड़ हो गई। वेतन मजदूरी तथा किराए पर निश्चित व्यय के कारण 2009–2014 के दौरान ₹ 1.96 करोड़ की हानि हुई। इसके अतिरिक्त 2009–10 में संचालित आठ प्रकार के पाठ्यक्रमों की तुलना में इसने 2011–14 के दौरान केवल तीन पाठ्यक्रमों को संचालित किया।

इस प्रकार संस्थान का पर्यटन व्यवसाय में लगे अवकाश व विश्राम प्रबंधन में सफल रोजगार के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने का अभीष्ट उद्देश्य विफल रहा। प्रबंधन ने पाठ्यक्रमों तथा नामांकित विद्यार्थियों की संख्या में कमी के लिए संस्थान का ए.आई.सी.टी.ई. के साथ संबद्ध न होना तथा प्रचार की कमी को उत्तरदायी ठहराया (मार्च 2015)। उत्तर में कंपनी द्वारा संबद्धता प्राप्त करने हेतु उठाए गए कदमों के बारे मे कुछ नहीं बताया गया था।

2.2.4.9 पर्यटन ढांचे का विकास तथा अनुरक्षण

(i) अकार्यशील सोलर पार्क: जी एफ एस में एक सोलर पार्क की स्थापना गैर–पारम्परिक नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का मंत्रालय, भा.स. से प्राप्त एकमुश्त ₹ 0.98 करोड़ की केन्द्रीय वित्त सहायता के साथ की गई। यंत्रों की मरम्मत, प्रतिस्थापना तथा अनुरक्षण की लागत को पार्क के राजस्व से पूरा किया जाना था। पार्क का उद्देश्य विभिन्न प्रदर्शनियों, जिनमें नवीकरण स्त्रोतों पर प्रदर्शित दो छोटी सौर ऊर्जा चालित बसें, बच्चों के लिए दस सौर ऊर्जा चालित साइकिलें, दो ऊर्जा चालित कारें, तीन क्विज कंप्यूटर तथा भार मशीने शामिल के साथ नवीकरणीय ऊर्जा की जागरूकता उत्पन्न करने का था।

यह परियोजना आगन्तुकों विशेषतः बच्चों के लिए आकर्षण का केन्द्र थी तथा इससे राजस्व उत्पन्न (2003–08 के दौरान ₹ 0.15 करोड़) हुआ। तथापि यह पाया गया कि वह अनोखी विशेषता जिसने इस परियोजना को 2004 मे लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड में स्थान बनाने की सहायता की, अपने आरंभ के पाँच वर्षों के पश्चात् किसी ए.एम.सी के बिना छोड़ दी गई जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों का क्षय तथा उनका धीरे–धीरे गैर– कार्यात्मक परिसम्पत्तियों के रूप में परिर्वतन होने लगा। इस प्रकार पार्क के अनुरक्षण के प्रति प्रबंधन के लापरवाह दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप एक विशिष्ट संकल्पना का लोप हुआ।




जी.एफ.एस. में अकार्यशील सौर ऊर्जा बसें

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2015) कि समय बीतने के साथ खराब होने से परिसम्पत्तियाँ अकार्यात्मक हो गई। इसमें आगे बताया गया कि सौर ऊर्जा पर आधारित प्रणालियों का पुनरूद्धार विचाराधीन था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परिसम्पत्तियों की खराबी आरंभिक पाँच वर्षों के बाद ए एम सी का नवीकरण न होने के कारण थी।

(ii) विषयक उद्यानों का गैर–विकासः कंपनी ने पर्यटकों तथा आगन्तुकों को और अधिक आकर्षित करने हेतु जी.एफ.एस के भीतर ही एक विषयक उद्यान (हर्बल, बोनसाई, बटरफ्लाई, टोपियरी तथा सुंगधित उद्यानों सहित) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा (वार्षिक योजना 2010–11)। पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2011 में ₹ 1.92 करोड़ की केन्द्रीय वित्तीय सहायता परियोजना को पूरा करने तथा जून 2012 तक आरंभ करने के लिए दी गई। हालांकि यह पाया गया कि परियोजना को 15 अप्रैल, 2014 तक ₹ 1.87 करोड़ व्यय करने के बावजूद फरवरी 2015 तक पूरा नहीं किया जा सका। इससे पर्यटक एक आकर्षण केन्द्र से वंचित रह गए। प्रबंधन ने कहा (मार्च 2015) कि विषयक उद्यान मार्च 2015 के अंत तक पूर्ण हो जायेगा। तथ्य यह है कि परियोजना को पूर्ण करने में दो वर्ष से अधिक समय की देरी पहले ही हो चुकी है।

(iii) परियोजना पर बिना आवश्यक क्लीयरेंस के ₹ 6.95 करोड़ का निष्फल व्ययः दिल्ली के उप–राज्यपाल ने (मार्च 2013) कंपनी को सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (सिं. एवं बा. नि.वि.) से संबंधित शाहदरा लिंक ड्रेन की 27000 व.मी. की भूमि के स्थानांतरण की संस्वीकृति दी जहाँ पर ड्रेन को कवर करके दिल्ली हाट (मयूर विहार) का निर्माण किया जाना था। कंपनी द्वारा इस परियोजना के लिए दि.वि.प्रा., दि.न.नि., बी.एस.ई.एस, वन तथा अन्य नियामक एजेन्सियों से आवश्यक पूर्व संस्वीकृतियॉ भी प्राप्त की जानी थी। 66 कि.वो. ओवर हैड लाइनों के स्थानातंरण के लिए दिल्ली हाट मयूर विहार के प्रस्तावित विकास हेतु बिजली विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने मार्च 2013 में डीटीटीडीसी को ₹ 9.01 करोड़ जारी किए। यह कार्य बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीएसईएस) द्वारा क्रियान्वित किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि नाला कवर करने, भूमि उपयोग में बदलाव का अनुमोदन अभी सरकार से प्राप्त करना था, कंपनी ने

जल्दबाजी में स्थल से ओवरहैड लाइन के स्थानांतरण का कार्य बी एस ई एस यमुना पॉवर लिमिटेड (डिसकॉम) से करवाया तथा उसे मई व जुलाई 2013 मे ₹ 8.11 करोड़ जारी कर दिए। कार्य शुरू करने से पूर्व व्यय वित्त समिति (व्य.वि.स.) द्वारा परियोजना की स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई थी। कार्य अगस्त 2013 में ₹ 6.95 करोड़ की लागत से पूरा हुआ।

हालांकि परियोजना को अक्तूबर 2013 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) में जनहित याचिका फाइल करने के कारण रोक दिया गया। एन जी टी ने निर्देश दिया है (जनवरी 2015) कि दिल्ली में किसी भी प्राधिकरण या नगर निगम द्वारा कोई भी निर्माण एवं/अथवा किसी भी नालों को ढँकने का कार्य नहीं किया जाएगा। इस प्रकार परियोजना के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने से पहले विद्युत सेवाओं के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप ₹ 6.95 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

प्रबंधन ने तथ्य को स्वीकार किया (फरवरी 2015) कि परियोजना रोक दी गई है। आगे यह भी बताया (मार्च 2015) कि स्थानातंरण कार्य अगस्त 2013 में पूरा हो गया था तथा अक्तूबर 2013 में जनहित याचिका फाइल की गई थी। उत्तर लेखापरीक्षा बिंदु कि कार्य बिना आवश्यक अनुमोदन के किया गया, से संबंधित नहीं है।

(iv) भूमि का अनुपयोग : लो.नि.वि ने 1992 में एन एच–8 की 2.08 एकड़ भूमि, रास्ते के किनारे पर्यटन सुविधाओं की स्थापना हेतु डी टी टी डी सी को निशुल्क हस्तांतरित की। जबकि कंपनी इस भूमि को रास्ते के किनारे स्थित पर्यटन स्थान में विकसित नहीं कर सकी (सितंबर 2014)। केवल जून 2012 में एक परामर्शदाता नियुक्त किया गया था। कंपनी के लापरवाह दृष्टिकोण के कारण 1992 से भूमि का उपयोग नहीं हुआ जबकि इसने ₹ 3.17 लाख परामर्श लेने के लिए और ₹ 0.30 लाख प्रति माह सुरक्षा पर व्यय किया।

प्रबंधन ने कहा (सितंबर 2014) कि इसकी ओर से विलंब नहीं था, क्योंकि भूमि से संबंधित शर्तों एवं निबंधनों पर सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने थे। आगे यह कहा (मार्च 2015) कि लो.नि.वि. के साथ ड्राफ्ट समझौते को अंतिम रूप देने के मामले में अनुपालन किया जा रहा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी द्वारा 20 वर्षों में भी कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए थे जबकि यह मामला मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में भी प्रदर्शित किया गया था।

(v) जून 2009 में कंपनी द्वारा सिंघु बॉर्डर (जी टी करनाल रोड) पर गुरू तेग बहादुर (जी टी बी) मैमोरियल का निर्माण रा.रा.क्षे.दि.स के शहरी विकास विभाग (श वि वि) के डिपॉजिट कार्य के रूप में किया गया। कंपनी को मैमोरियल का प्रचालन तथा अनुरक्षण सौंपा गया जिसके लिए सितंबर 2012 में एक एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए। कंपनी द्वारा मार्च 2014 तक मैमोरियल के प्रचालन तथा अनुरक्षण पर किए गए व्यय में से ₹ 2.59 करोड़ की एक राशि अगस्त 2014 तक रा. रा.क्षे.दि.स. के शहरी विकास विभाग (श.वि.वि.) से वसूली हेतु लम्बित थी। श.वि.वि. ने कंपनी के दावे को यह कहते हुए अनुमोदित नहीं किया (अप्रैल 2014) कि व्यय सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा संस्वीकृत राशि से अधिक किया गया। संस्वीकृत राशि से अधिक व्यय करना खराब वित्तीय प्रबंधन का परिणाम था जिसके कारण कंपनी पर ₹ 2.59 करोड़ का परिहार्य वित्तीय भार हुआ। इसके अतिरिक्त 31 अगस्त 2014 तक ₹ 0.30 करोड़ (नौ *प्रतिशत* प्र.व.) के ब्याज की हानि हुई।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2015) कि यह सतत् रूप से श.वि.वि. से संपर्क में है तथा जुलाई 2013 में जी टी बी मैमोरियल लाइट एंड साऊंड शो के उद्घाटन पर किया व्यय श.वि.वि की जानकारी में था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ₹ 2.59 करोड़ में से ₹ 1.18 करोड़ का एक बड़ा भाग इस कार्यक्रम के लिए था तथा जबकि व्यय श.वि.वि. की जानकारी में था, श.वि.वि. ने अनुमोदन नहीं किया तथा श.वि.वि. ने संस्वीकृत राशि के अतिरिक्त व्यय का अनुमोदन नहीं किया। यह देखा गया कि कंपनी ने 2014–15 में भी ₹ 1.05 करोड़ का व्यय श.वि.वि के अनुमोदन के बिना किया।

2.2.5 मद्य से संबंधित गतिविधियाँ

भारतीय निर्मित विदेशी मद्य (आई एम एफ एल) व्यापार को वर्ष 1979 में डी.टी.टी.डी.सी को सौंपा गया ताकि जनता को विशुद्ध मद्य की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके तथा दिल्ली में पर्यटन गतिविधियों के वित्तीयकरण हेतु राजस्व उत्पन्न हो सके। देशी मद्य की खुदरा बिक्री व्यापार, 1989 में उत्पाद शुल्क विभाग से कंपनी को स्थानांतरित कर दिया गया। अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने निम्नलिखित को दर्शायाः

2.2.5.1 मद्य से संबंधित गतिविधियों की वित्तीय स्थिति

- डिविजन के आई एम एफ एल बिक्री खण्ड ने 2009–14 के दौरान ₹ 38.43 करोड़ का लाभ अर्जित किया जबकि देशी मद्य बिक्री खण्ड में ₹ 15.08 करोड़ की हानि हुई। मद्य डिविजन का समस्त लाभ कुल बिक्री के 0.30 तथा 0.97 *प्रतिशत* के बीच था। **(अनुलग्नक 2.2.5)**। देशी मद्य खण्ड अलाभकारी था क्योंकि सामग्री की लागत 96 से 98 *प्रतिशत* थी तथा वेतन एवं मजदूरी देसी मद्य खण्ड की कुल आय का तीन से चार *प्रतिशत* रही थी। इस प्रकार आय, किराया, लाइसेंस शुल्क, गृहप्रभार व्यय इत्यादि को समायोजित करने हेतु पर्याप्त नहीं थी।
- 2009–14 के दौरान कुल 122 में से 29 आई एम एफ एल दुकानों में लगातार हानि (₹ 5.13 करोड़) हुई परन्तु कंपनी ने हानि को रोकने तथा इन हानि वाली दुकानों को बंद करने के लिए उपचारी कार्रवाई आरंभ नहीं की।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2015) कि सरकार द्वारा मार्जिन में वृद्धि, कर्मचारी लागत में कमी, तथा देसी मद्य खानों में आई एम एफ एल दुकानों की वृद्धि से, देसी मद्य डिविजन में हानियों में कमी तथा लाभप्रदता में वृद्धि होगी। तथापि उत्तर में, इस मामले में उठाये गए कदम के बारे में कुछ नहीं बताया गया।

2.2.5.2 त्रुटिपूर्ण ऑर्डरिंग प्रणाली तथा शराब की दुकानों की रिब्राण्डिंग में शिथिलता

(i) कम्पनी ने अपनी आवश्यकता की प्रस्तुति हेतु एक ऑर्डरिंग फार्मूला[4] अपनाया है जो साप्ताहिक उपभोग तथा स्टॉक स्तर पर आधारित है। इस फार्मूला में निर्णायक घटक, स्टॉक स्तर के लिए अपनाया गया वृद्धि घटक है (अर्थात 7 दिनों का स्टॉक स्तर 1.00 वृद्धि घटक के समान है तथा 20 दिनों का स्टॉक स्तर 2.75 वृद्धि घटक के बराबर है)।

[4] {(साप्ताहिक बिही × वृद्धि घटक)– अंतिम शेष}

109 मामलों की नमूना जाँच ने दर्शाया कि 96 मामलों में 10 दिनों से अधिक के लिए स्टॉक की उपलब्धता के बावजूद एक से 2.75 की रेंज में वृद्धि घटक के साथ खरीद हेतु आदेश दिया गया था।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2015) कि चूंकि ऑर्डर साप्ताहिक आधार पर जारी किए जाते हैं, ऑर्डरिंग फॉर्मूला, भण्डार को बढ़ने की स्थिति में नियंत्रित करता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नमूना जाँच मामलों में वृद्धि घटक तर्काधार के बिना लागू किया गया था, परिणामस्वरूप अधिक स्टॉक रखा गया।

(ii) कंपनी ने सभी शराब की दुकानों की रिब्राण्डिंग, पुताई, चमकदार साइनबोर्ड लगाने सुधार व मरम्मत प्रारंभ करने हेतु इंटेलीजेंट कम्यूनिकेशनस सिस्टम इंडिया (आई सी एस आई एल) के साथ पाँच वर्ष के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए (जुलाई 2011)। आई सी एस आई एल को सभी शराब की दुकानों पर विशेष विज्ञापन अधिकारों के बदले में इन सभी कार्यों को कार्यान्वित करना था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि आई सी एस एल द्वारा चूंकि स.ज्ञा. के अनुसार दुकानों की रिब्राण्डिंग तथा नवीकरण नहीं किया गया था कंपनी ने ठेके को तत्काल बंद करने का निर्णय लिया (मार्च 2013)। जबकि निर्णय को सितंबर 2014 तक कार्यान्वित नहीं किया गया था।

इस प्रकार कंपनी के पास न तो ऐसी कोई प्रणाली थी जो प्रतिस्पर्धी वातावरण में ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु इसके बिक्री केन्द्रों की रिब्राण्डिंग तथा नवीकरण कर सके या इसके बिक्री केन्द्रों की लाभकारी कार्यप्रणाली के लिए स्टॉक के स्तर को नियंत्रित कर राजस्व की उत्पत्ति को बढ़ा सके।

प्रबंधन ने कहा (सितंबर 2014) कि आई सी एस आई एल के साथ करार रद्द नहीं किया गया तथा अप्रैल 2013 में कंपनी द्वारा, कारण बताओ नोटिस जारी करने हेतु आईसीएसआईएल के उत्तर की प्रति उपलब्ध कराई गई थी। आगे यह कहा (मार्च 2015) कि दुकानों की मरम्मत तथा पुनःब्रांड करने में शराब व्यापर से लाभों की कुछ राशि लगाई जाएगी। इसे आईसीएसआईएल द्वारा किये कार्य की जानकारी थी। उत्तर अनुबोध है तथा इस तथ्य के विचार से स्वीकार्य नहीं है कि आईसीएसआईएल को जारी निरस्त नोटिस कार्य को नहीं करने के कारण दिया गया था। इसके अतिरिक्त आईसीएसआईएल के उत्तर को आसानी से स्वीकार किया कि कुछ कार्य समाप्त हो चुका था, अनुवीक्षण तंत्र के अभाव को प्रमाणित करता है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने स्वयं ₹ 11.10 लाख का व्यय करके दो दुकानों का नवीकरण किया।

2.2.6 इंजीनियरिंग गतिविधियाँ

वर्ष 1989 में निर्मित कंपनी का इंजीनियरिंग डिविजन विभिन्न सरकारी एजेन्सियों की तरफ से डिपॉजिट कार्यों सहित अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को करता है। डिविजन ने 2009–14 की अवधि के दौरान ₹ 20.73 करोड़ का कुल लाभ कमाया। 2009–14 के दौरान इंजीनियरिंग डिविजन को सौंपे गए 212 कार्यों (₹ 1260.08 करोड़ की निविदा लागत) में से 41 चयनित कार्यों (₹ 802.15 करोड़ की निविदा लागत) की नमूना जाँच के दौरान पाई गई अनियमितताओं की चर्चा आगामी उप–पैराग्राफों में की गई है।

2.2.6.1 वास्तुशिल्पीय परामर्शदाताओं के साथ करार में दंडात्मक अनुच्छेद को समाविष्ट न करना

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुदेशों (नवबर 2002) के अनुसार, ठेका सौंपने के पश्चात् कार्य के क्षेत्र में कोई प्रमुख विचलन नहीं होना चाहिए तथा परामर्शदाता को खराब योजना के लिए दण्डित किया जाना चाहिए, यदि विचलनों के परिणामस्वरूप लागत अत्याधिक बढ़ जाती है। जबकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि वास्तुशिल्पीय परामर्शदाताओं के साथ करार में परिमापों के अनुमान में परिवर्तन के लिए कोई दंडात्मक अनुच्छेद नहीं था। वहाँ 11 कार्यों में निविदा लागत में और वास्तविक भुगतान में परिवर्तन थे जिनकी रेंज 13 और 89 *प्रतिशत* के बीच थी परिणामस्वरूप ₹ 35.65 करोड़ की लागत में वृद्धि हुई। विस्तृत विचलन ने इस तथ्य को इंगित किया कि वास्तुशिल्पीय परामर्शदाता अथवा कंपनी द्वारा अनुमान तैयार करते समय परियोजनाओं की विस्तृत संवीक्षा नहीं की गई थी।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2015) कि लेखापरीक्षा निष्कर्ष के मद्देनजर, भविष्य के सभी समझौतों में उपयुक्त दण्डात्मक अनुच्छेद शामिल किए जायँगे.।

2.2.6.2 ई–निविदा को आकस्मिकता के आधार पर स्वीकृति– ₹ 2.64 करोड़

(i) ₹ 1.44 करोड़ की लागत (₹ 1.38 करोड़ की अनुमानित लागत) पर 'यू जी टैंक, एस टी पी प्लेटफॉर्म के निर्माण, कुँआ रीचार्ज तथा पूसा के रेन वाटर हारवेस्टिंग के ट्रेंच रिचार्ज करने' के कार्य के लिए ई–निविदा को आंमत्रित किया गया। एक निविदा प्राप्त की गई थी तथा उसे आकस्मिकता के आधार पर स्वीकृति दे दी गई थी। तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुख्य इंजीनियर को निविदा, खुलने की तिथि (16 मई 2012) से 45 दिनों के पश्चात् (29 जून 2012) प्रस्तुत की गई तथा निविदा के खुलने के बाद 58 दिन (13 जुलाई 2012) दिए गए। अंत में निर्धारित तिथि की समाप्ति (26 नवम्बर 2012) से 293 दिन के बाद (16 सितम्बर 2013) कार्य सम्पन्न हुआ।

(ii) 'अग्निशमन कार्य, एच वी ए सी तथा विद्युत कार्य इत्यादि सहित ऑडिटोरियम का नवीकरण' के कार्य के लिए ई–निविदा को आंमत्रित किया गया। प्राप्त दो बोलियों में से बोलियों के मूल्यांकन के पश्चात केवल एक निविदा को योग्य पाया गया था। एकमात्र योग्य निविदा को अत्यावश्यकता के आधार पर ₹ 1.23 करोड़ की निविदा लागत (₹ 1.03 करोड़ की अनुमानित लागत) पर स्वीकार किया गया। कार्य 3 मई 2013 तक पूरा किया जाना अनुबद्ध था। हालांकि लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि कार्य को वास्तव मे बोली के खुलने की तिथि (5 सितम्बर 2012) से 66 दिनों (12 नवम्बर 2012) के पश्चात् सौंपा गया तथा समाप्ति की निर्धारित तिथि से 214 दिनों (4 दिसम्बर 2013) के विलंब से पूरा किया गया था।

इस प्रकार कार्यों को वास्तव में सौंपने तथा उनको पूरा करने में विलंब से यह तथ्य सामने आया कि इंजीनियरिंग डिविजन को इन कार्यों को पूरा करने की कोई जल्दी नहीं थी। एकमात्र निविदा को तात्कालिकता के आधार पर स्वीकार करना अनुचित था।

प्रबंधन ने भविष्य में शीघ्रातिशीघ्र कार्य को सौंपे जाने का आश्वासन दिया (मार्च 2015)। उत्तर में एकल निविदा की स्वीकृति को आकस्मिकता की दलील देकर स्वीकार करने के मामले पर चर्चा स्थिति को संबोधित नहीं की गई है।

2.2.6.3 एकमुश्त ठेके में वृद्धि अनुच्छेद का अनियमित समावेश

सा.वि.नि. 2005 के नियम 204 (ii) में निर्धारित है कि ठेके के मानक प्रपत्रों को जहाँ कहीं भी आवश्यक समझा जाये संशोधनों के साथ अपनाना चाहिए तथा संशोधनों को केवल वित्तीय तथा कानूनी सलाह प्राप्त होने के पश्चात ही अपनाना चाहिए। जबकि लेखापरीक्षा में देखा गया कि तीन कार्यों के लिए, डी.टी.टी.डी.सी के डिविजनों ने कीमत वृद्धि अनुच्छेद को सम्मिलित कर के. लो.नि.वि. प्रपत्र 12 (एकमुश्त ठेके हेतु मानक प्रपत्र) को कानूनी अथवा वित्तिय सलाह के बिना संशोधित किया। इन तीन निर्माण ठेकों के कार्य में मूल्य वृद्धि अनुच्छेद के क्रियाशील होने पर कंपनी ने निविदा राशि क्रमशः ₹ 631.81 करोड़, ₹ 348.90 करोड़, तथा ₹ 98 करोड़ की निविदा राशि के प्रति ₹ 117.06 करोड़ (मुख्य पुल का निर्माण ₹ 69.98 करोड़ (मार्च 2014 तक), पँहुच मार्ग का निर्माण ₹ 36.66 करोड़ (मार्च 2014 तक) तथा नंद नगरी में आर ओ वी तथा आर यू वी का निर्माण ₹ 10.42 करोड़ (मार्च 2011)) का अतिरिक्त भुगतान किया।

प्रबंधन ने (मार्च 2015) भविष्य में इसकी सभी अवसंरचात्मक परियोजनाओं को लो.नि.वि. फार्म 8 अर्थात मद दर निविदा फॉर्म को अपनाने का आश्वासन दिया।

2.2.6.4 प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति के बिना कार्य का निष्पादन

स.वि.नि. का नियम 129 निर्धारित करता है कि प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति (प्र.अ. एवं. व्य.सं) के मिलने तक कोई भी कार्य शुरू नहीं किया जाना चाहिए या कोई देयता नहीं उठानी चाहिए। दो कार्यों यथा ''भल्सवा में उप– रजिस्ट्रार के कार्यालय का निर्माण'' (₹ 3.87 करोड़) एवं ''जनकपुरी में उप– रजिस्ट्रार के कार्यालय का निर्माण'' (₹ 1.25 करोड़) के संबंधित दस्तावेजों के नमूना जाँच में देखा गया कि ₹ 5.12 करोड़ रूपये का भुगतान क्लाइंट विभाग से प्र.अ. एवं. व्य.सं प्राप्त किए बिना स.वि.नि. को खारिज करके कर दिया गया।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (मार्च 2015) में कहा कि दोनों कार्यों के लिए प्र.अ. एवं. व्य.सं प्राप्त कर ली गई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने सा.वि.नि. के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था।

2.2.6.5 कार्य के समापन में विलम्ब

के. लो. नि. वि. निर्माण कार्य नियमावली की धारा 15 यह अनुबन्धित करती है कि एन. आई. टी के अनुमोदन से पहले, निर्बाध स्थान उपलब्ध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त धारा 29.1 में ठेकेदार द्वारा नियत समय के सख्ती से पालन का प्रावधान उपलब्ध है। अभिलेखों की नमूना जाँच में देखा गया कि 19 कार्य, जिनकी निविदा राशि कुल ₹ 1054 करोड़ थी, पूरे नहीं किए गए थे (जून 2014 तक) यद्यपि उनकी अनुबंधित तिथियाँ कार्य के पूर्ण होने से पहले ही समाप्त हो चुकी थीं जिसमें 66 से 925 दिनों तक का विलम्ब था। इस तरह कार्यों के समापन में विलम्ब ने, विलम्ब की अवधि के लिए अभीष्ट उपभोक्ताओं को सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित रखा।

प्रबन्धन ने बताया (मार्च 2015) कि कार्य लेने से पूर्व विभिन्न सांविधिक तथा नियामक निकायों से क्लीयरेंस तथा अनुमोदन की गैर प्राप्ति के कारण विलम्ब हुआ था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इंजीनियरिंग विंग द्वारा कार्य के अवार्ड से पहले के पूर्वापेक्षित नियमों का पालन नहीं किया गया।

2.2.6.6 निविदा आमंत्रित किए बिना कार्य का निष्पादन

के.लो.नि.वि निर्माण कार्य नियमावली की धारा 14.1 अनुबंधित करती है कि ₹ 50 हजार की लागत से ऊपर के कार्यों के लिए समान्यतः निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए। कापसहेड़ा एवं नन्द नगरी के उप–रजिस्ट्रार कार्यालय के सुधार कार्य की विचलन विवरणी की लेखापरीक्षा जाँच में

देखा गया कि एक अन्य स्थान अर्थात् उप–रजिस्ट्रार कार्यालय, गीता कॉलोनी के डाटा नेटवर्किंग के कार्य का अनियमित रूप से निष्पादन पहले वाले कार्य के भाग के रूप में किया गया। इसे मात्रा के विचलन के रूप में लिया गया जिसके लिए ₹ 1.06 करोड़ का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, डिविजन ने निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना निविदा आमंत्रित किए हुए ₹ 1.06 करोड़ का कार्य निष्पादित कराया।

अपने उत्तर में, प्रबंधन ने भविष्य में नियमावली के प्रावधानों के पालन का आश्वासन दिया (मार्च 2015)।

2.2.6.7 परियोजनाओं का संचालन न होने के कारण निधियों का अवरोधन

(i) कम्पनी द्वारा सितम्बर 2013 में ₹ 8.73 करोड़ की लागत से छावला में एक पर्यावरण हितैषी पर्यटन काम्पलेक्स बनाया गया। तथापि, उसके संचालन के लिए किसी भी परिचालक की नियुक्ति न होने के कारण उसे सितम्बर 2014 तक चालू नहीं किया जा सका। कॉम्प्लेक्स के संचालन में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 8.73 करोड़ का अवरोध हुआ।

अपने उत्तर (मार्च 2015) में प्रबंधन ने कहा कि प्रारूप समझौते पर सि एवं बा नि वि के साथ हस्ताक्षर किया जाना कानूनी जाँच के अधीन है तथा प्रचालक की नियुक्ति की प्रक्रिया उसके पश्चात की जाएगी। तथ्य यह है कि परियोजना को अभी प्रचालित किया जाना है।

(ii) एक अन्य मामले में, ''संजय झील, मयूर विहार में सॉफ्ट एडवेन्चर पार्क का विकास'' का कार्य अप्रैल 2010 में ₹ 4.79 करोड़ की लागत पर अवार्ड किया गया, जिसे 18 जनवरी 2011 तक पूरा किया जाना था। तथापि 88 *प्रतिशत* काम के समाप्त हो जाने पर एवं ₹ 4.31 करोड़ का व्यय हो जाने के बाद, उस क्षेत्र में मोनोरेल के प्रस्ताव के कारण इस कार्य को 7 मार्च 2013 को बंद कर दिया गया। लेखापरीक्षा ने देखा की इस आंशिक रूप से बनाए गए पार्क को भी सितम्बर 2014 तक चालू नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2015) कि सॉफ्ट एडवेंचर गतिविधियों का कार्य सौंप दिया गया है। तथ्य यह है कि पार्क में एडवेंचर गतिविधियाँ अभी आरंभ की जानी हैं।

2.2.7 मानव संसाधन प्रबंधन

मानव संसाधन प्रबंधन एक समय अवधि के बाद एक संगठन की गतिविधियों के निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। तथापि, कंपनी द्वारा सिर्फ वर्ग के अनुसार स्वीकृत तथा कार्मिक स्थिति का ब्यौरा रखा जा रहा था परन्तु डिविजन के अनुसार नहीं। डिविजन के अनुसार मानव शक्ति के ब्यौरे के अभाव में, कम्पनी विभिन्न डिविजनों से संबंधित कार्यभार के अनुसार मानव शक्ति को तैनात करने में असमर्थ थी। वर्ष 2009–14 के दौरान वर्गवार स्वीकृत पद तथा कार्मिक स्थिति का ब्यौरा **तालिका 2.2.4** में है:

तालिका– 2.2.4
स्वीकृत पद तथा वास्तविक कार्मिक स्थिति

वर्ग	2009–10		2010–11		2011–12		2012–13		2013–14	
	स्वीकृत	कार्मिक स्थिति	स्वीकृत	कार्मिक स्थिति	स्वीकृत	कार्मिक स्थिति	स्वीकृत	कार्मिक स्थिति	स्वीकृत	कार्मिक स्थिति
ए	75	53	77	53	77	68	77	62	74	56
बी	79	71	76	62	76	52	76	52	74	50
सी	604	518	599	326	599	527	599	521	592	486
डी	303	261	302	245	301	226	301	226	295	212
कुल	**1061**	**903**	**1055**	**686**	**1053**	**873**	**1053**	**861**	**1035**	**804**

(स्रोतः कम्पनी से प्राप्त सूचना)

लेखापरीक्षा में देखा गया कि कम्पनी ने रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग (ए. आर.डी), द्वारा किए गए निर्माण कार्य परिमापन अध्ययन के आधार पर दिसम्बर 2013 में विभिन्न विषयों जैसे पदों की समाप्ति, स्टाफ में तर्कसंगत कमी, कुशल एवं योग्य मानवशक्ति की भरती आदि पर जारी किए गए सुझावों पर कोई निर्णय नहीं लिया।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2015) कि एक परामर्शदाता को भर्ती नियमों की बुद्धिसंगत व्याख्या प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त किया गया है ताकि प्र.सू.वि. रिपोर्ट की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सके। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक वर्ष समाप्त होने पर भी मानव शक्ति को बुद्धिसंगत ढंग से करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई यद्यपि अध्ययन कम्पनी के निवेदन पर ही किया गया था।

2.2.8 आंतरिक नियंत्रण

(i) आंतरिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो प्रचालन की दक्षता, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा लागू विधियों एवं संविधियों की अनुपालना को तर्कपूर्ण आश्वासन प्रदान करने के लिए निर्मित की जाती है। लेखापरीक्षा द्वारा आतंरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्न कमजोरियाँ पाई गईः

- कम्पनी द्वारा स्वीकृत एवं प्राप्त अनुदानों और सरकार को अप्रयुक्त बकाया की वापसी का ब्यौरा नहीं रखा जा रहा था।
- परिसम्पति रजिस्टरों का ठीक से अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था।
- कम्पनी में लेखा–विधि, आंतरिक लेखापरीक्षा और कार्यालय प्रक्रिया की मैनुअल नहीं थी।
- इंटर–यूनिट बकाया के आवधिक मिलान के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।
- रोकड़ बही एवं निविदा दस्तावेजों में करेक्शन फ्लुइड के इस्तेमाल के उदाहरण थे।

प्रबंधन सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र.), परिचालन स्तर से सर्वोच्च प्रबंधन तक कम्पनी की सभी गतिविधियों की नियमित सूचना के प्रवाह के लिए समयपूर्वक निर्णय लेने में सहायक है। कम्पनी में कोई भी सुगठित एम.आई.एस नहीं था क्योंकि सर्वोच्च प्रबंधन को कोई भी आवधिक निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार, नीचे से ऊपर तक सूचना की पूर्व निर्धारित अंतराल पर स्वचालित तत्काल प्रवाह की कमी थी।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2015) कि कम्पनी के आकार के अनुसार यथेष्ट आंतरिक नियंत्रण प्रणाली थी। इस रिपोर्ट में दर्शाई गई कमियों एवं त्रुटियों के विचाराधीन उत्तर स्वीकार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2009–14 के दौरान अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह भी प्रतिबलित किया गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा कोई वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं कर रहा तथा उसे और मजबूत करने की आवश्यकता है।

(ii) लेखापरीक्षा समितिः कम्पनी के पास अपने स्वयं का आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं था। आंतरिक लेखापरीक्षा, चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों द्वारा की जा रही थी। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 (ए) के अंतर्गत संगठित लेखापरीक्षा कमेटी वार्षिक लेखों एवं आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार–विमर्श करती है। लेखापरीक्षा समिति की नियमित रूप से त्रैमासिक मीटिंग नहीं की गई, हालांकि वह 2009–14 के दौरान दो/तीन बार मिली। प्रबंधन द्वारा तथ्यों की पुष्टि की गई (मार्च 2015)।

(iii) पदधारण में निरन्तर परिवर्तनः दीर्घावधि कार्रवाई योजना प्रतिबंधित रही क्योंकि 2009–14 के दौरान एक से 16 माह के समय की रेंज में कंपनी के सी.ई.ओ. का पद आठ पदधारियों द्वारा धारित किया गया। प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2014) कि सी.ई.ओ. की नियुक्ति दिल्ली सरकार द्वारा की जाती है।

2.2.9 निष्कर्ष

कंपनी के निर्माण का आधारभूत उद्देश्य पर्यटन को बढ़ाना था। मद्य डिविजन को तदंतर पर्यटन गतिविधियों के वित्तीयकरण हेतु राजस्व उत्पन्न करने के लिए जोड़ा गया था तथा परियोजना डिविजन को बाद में अन्य विभागों की संरचनात्मक विकास गतिविधियों को करने के लिए जोड़ा गया था। यद्यपि अन्य गतिविधियाँ लाभदायक थीं, पर्यटन को बढ़ावा देने की मूल गतिविधि न तो लाभदायक थी और न ही पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में थी। कंपनी पोर्टफोलियों में तीन असंबंद्ध तथा विविध गतिविधियों के सम्मिलन से कंपनी की स्थापना के आधारभूत उद्देश्य से समझौता किया गया तथा इसे पर्यटन को बढ़ाने पर फोकस करने की दिशा से परिवर्तित कर दिया गया। राजधानी क्षेत्र द्वारा पर्यटकों को सहायक वातावरण प्रदान करने के बाद भी पर्यटन को बढ़ावा देने में कम्पनी के प्रदर्शन में कमी थी। कम्पनी के पास व्यापक पर्यटन प्रवर्तन योजना नहीं थी जिसके अभाव में पर्यटन गतिविधियाँ तदर्थ रूप से की गई। कम्पनी की शासन प्रणाली कमियों जैसे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सुगठित विपणन योजना न होने से परिचालन हानियाँ हुई। भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के निर्धारित न होने के साथ अपर्याप्त बजट संबंधी नियंत्रण होने के कारण स्थिति और विकृत हो गई। व्यापारिक रूप से अव्यवहार्य शराब के ठेके चलाने एवं अत्याधिक स्टॉक रखने के कारण कम्पनी की लाभ मात्रा में कमी आई। पर्यटन परियोजनाओं के समापन में विलम्ब के कारण पर्यटन के विकास एवं उन्नयन के लिए नए उत्पाद भी प्रस्तुत नहीं किए जा सके। यद्यपि स्टॉफ लागत कंपनी के व्यय में महत्वपूर्ण हिस्सा थी, स्टॉफ के पुनर्गठन के लिए कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई। आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर था।

सिफारिशें

सरकार एवं कम्पनी को निम्नलिखित पर विचार करना चाहिए:

- दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन नीति को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म स्तर पर दक्ष आयोजन एवं उपयुक्त कार्रवाई योजना बनाए।
- अनुबंध के प्रबंधन को मजबूत बनाया जाए जिससे लागत में बढ़ोतरी को नियंत्रित किया जा सके एवं योजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके।
- स्थापना लागत को कम करने के लिए स्टॉफ की विवेकपूर्ण व्याख्या
- परिसंपत्तियों के उचित अभिलेखों का रखरखाव, लेखांकन आंतरिक लेखापरीक्षा तथा कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल डिवाइस करना, अंतः इकाई शेषों का समायोजन इत्यादि द्वारा आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत करना।

2.2.10 दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड

दिल्ली परिवहन अवसरंचना विकास निगम लिमिटेड में कुशल निधि प्रबंधन तथा कर आयोजन के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 2.46 करोड़ के ब्याज की हानि, ₹ 1.71 करोड़ के दण्ड ब्याज का परिहार्य भुगतान, ₹ 2.28 करोड़ के कर का लाभ न उठाने तथा डिम्टस को किराये में ₹ 1.57 करोड़ का अनुचित लाभ। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने, परिवहन विभाग से सुरक्षित ऋणों पर दण्ड ब्याज के रूप में ₹ 3.72 करोड़ की एक परिहार्य देयता उत्पन्न की।

दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) अगस्त 2010 में निगमित की गई जो कि दिल्ली के मौजूदा तीन आइ.एस.बी.टी. के प्रचालन, अनुरक्षण तथा पुनर्विकास के कार्य तथा द्वारका तथा नरेला में प्रस्तावित आइ.एस.बी.टी. के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। कम्पनी में आमदनी के मुख्य स्त्रोत लाइसेंस शुल्क, स्टैण्ड शुल्क, समेकित शुल्क तथा बैंकों से ब्याज हैं। इसने वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान क्रमशः ₹ 14.04 करोड़ तथा ₹ 14.72 करोड़ का कर पूर्व लाभ कमाया। वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 के लिए कंपनी की वित्तीय विवरणियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों ने राय देते समय लेखों पर 'नहीं सत्य और उचित विचार' दिया। वर्ष 2013–14 के कम्पनी के लेखाओं को अभी तक (अप्रैल 2015) अंतिम रूप दिया जाना है। लेखापरीक्षा में 2013–14 तक की अवधि को समाविष्ट करते हुए कम्पनी में निधि प्रबंधन तथा कर आयोजना को अवगत कराया गया। महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे इस प्रकार हैः

(i) दोषपूर्ण निधि प्रबंधन के कारण ₹ 2.46 करोड़ के ब्याज की हानिः कंपनी के लिए बस क्यू शैल्टर (ब.क्यू.शै.) से लाइसेंस शुल्क, समेकित शुल्क, स्टैण्ड शुल्क, प्रदूषण नियत्रंण प्रमाणपत्र (पी.यू.सी.सी.) के होलोग्रामों की बिक्री इत्यादि के अतिरिक्त आइ.एस.बी.टी. बिल्डिंग में कार्यालय स्थल से किराया राजस्व का एक मुख्य स्त्रोत है। धन की प्राप्ति का समय एवं जिसमें धन का भुगतान किया गया, के बीच समय का अतंर होने के कारण, विवेकपूर्ण रोकड़ प्रबंधन की आवश्यकता है, रोकड़ संबंधी मामलों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि रोकड़ शेष को न्यूनतम स्तर पर रखा जाए एवं अतिरेक निधियों को लाभदायक निवेशों, जैसे बैंक में आवधिक जमा रसीदों (टी डी आर) में निवेश किया जाए। 2012–14 के दस्तावेजों की संवीक्षा बताती है कि कम्पनी के विभिन्न बैंको के चालू खातों में अतिरेक निधियां पड़ी थी लेकिन, अतिरेक निधियों के निवेश के लिए कोई निवेश नीति नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.46 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

इस प्रकार, यदि कम्पनी चालू खातों में व्यर्थ छोड़ने की बजाय अतिरेक निधियों को आवधिक जमा रसीद (टी डी आर) में निवेश करती तो वर्ष 2012–14 की अवधि के दौरान ₹ 2.46 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज का उपार्जन कर सकती थी।

(ii) ₹ 1.71 करोड़ के दण्ड ब्याज का परिहार्य भुगतानः आयकर अधिनियम 1961 की धारा 208 के अन्तर्गत, वित्त, वर्ष के दौरान, प्रत्येक मामले में जहां देय कर ₹ 10,000 या अधिक है वहाँ अग्रिम कर का भुगतान अनिवार्य है। धारा 209 के अन्तर्गत, अग्रिम कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में चार किश्तों में 15 जून, 15 सितम्बर, 15 दिसम्बर और 15 मार्च को या पहले देय है। धारा 234 (बी) के अन्तर्गत चूक के मामले में, प्रत्येक माह एक *प्रतिशत* की दर से साधारण ब्याज तथा धारा 234 (सी) के अन्तर्गत अग्रिम कर की किश्तों में विलम्ब के लिए प्रत्येक माह एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज उदग्रहित होता है। धारा 234 (ए)[5] के अन्तर्गत निर्धारिती आयकर विवरण जमा

करने में चूक के लिए भी प्रत्येक माह एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज के भुगतान का जिम्मेदार है। लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि कम्पनी ने वित्त वर्ष 2011–12 के लिए ₹ 5.14 करोड़ का आयकर सितम्बर 2013 में जमा किया तथा मार्च 2014 में आयकर विवरणी दाखिल की। इस प्रकार, कम्पनी ने धारा 234 (ए), (बी) तथा (सी) के प्रावधानों का उल्लंघन किया तथा फलस्वरूप ₹ 1.33[6] करोड़ के दण्ड ब्याज का भुगतान किया। वित्त वर्ष 2013–14 के लिए, कम्पनी ने न्यूनतम अनुमानित आय पर तीन किश्तों (9/2013, 12/2013 तथा 3/2014) में ₹ 9.55 करोड़ के अग्रिम कर जमा किया तथा परिणामस्वरूप उसे धारा 234 (सी) के अन्तर्गत ₹ 0.38 करोड़ के दण्ड ब्याज का भुगतान करना पड़ा। यदि कम्पनी, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान करती तो ₹ 1.71 करोड़ की बचत कर सकती थी।

(iii) ₹ 2.28 करोड़ के कर लाभ का उपयोग न करना: आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (iii) तथा धारा 43 (1) के स्पष्टीकरण 8 के अनुसार, यदि एक परिसम्पति के अधिग्रहण के लिए पूंजी उधार ली गई है तथा उधार ली गई पूंजी के संबंध में ब्याज का भुगतान (या भुगतान योग्य) किया है, तो ऐसी उधार ली गई पूंजी, उस समय तक, जब परिसम्पति प्रयोग में लाई जाए, पर ब्याज को पूँजीकृत कर सकते हैं तथा परिसम्पति के पहली बार प्रयोग के बाद ब्याज व्ययों का राजस्व के रूप में दावा किया जा सकता है।

कम्पनी ने आई.एस.बी.टी., कश्मीरी गेट, जिसका उद्घाटन 2 मई 2013 को किया गया था, के नवीकरण हेतु परिवहन विभाग से ₹ 70 करोड़ का ऋण पर ब्याज का भुगतान नहीं किया। इस ऋण पर उपार्जित ब्याज 1 मई 2013 तक ₹ 11.10 करोड़ तथा 2 मई 2013 से 31 मार्च 2014 की अवधि के लिए ₹ 6.70 करोड़ था। ऋण पर ₹ 6.70 करोड़ के उपार्जित ब्याज को परिसंपति को उपयोग में लाने के पश्चात व्ययों के रूप में माना जाना चाहिए था, लेकिन आयकर अधिनियम की धारा 43–बी के अनुसार, ऐसे व्यय कम्पनी की आय की गणना के समय, केवल भुगतान आधार पर स्वीकार्य हैं। चूंकि कंपनी ने ब्याज का भुगतान नहीं किया, वह 43–बी के अन्तर्गत उपलब्ध कर लाभ नहीं उठा सकी तथा 2013–14 में ₹ 2.28 करोड़ के अतिरिक्त आयकर का भुगतान किया। इस प्रकार कंपनी ₹ 2.28 करोड़ को बचा सकती थी यदि वह अपने ऋण भार को चुका देती जबकि 'चालू खाता' में अतिरिक्त नकद पड़ा था जिससे कोई आय नहीं हो रही थी।

(iv) डिम्ट्स को ₹ 1.57 करोड़ का अनुचित लाभ: आइ एस बी टी कश्मीरी गेट में कंपनी, सरकारी विभागों, बैंकों, कम्पनियों, व्यक्तिगत लाइसैंस धारियों इत्यादि को किराये पर कार्यालय/वाणिज्यिक स्थान देती रही थी। अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि दिल्ली मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटिड (डिम्टस) को किराये के आधार पर जून 2006 से सितम्बर 2011

[5] धारा 234 ए में प्रावधान है कि धारा 139 की उप–धारा (4) के अंतर्गत अथवा उप–धारा 142 के अंतर्गत नोटिस की प्रतिक्रिया में जहाँ आय की विवरणी किसी निर्धारण वर्ष के लिए देय तिथि के पश्चात प्रस्तुत की जाती है, अथवा प्रस्तुत नहीं की जाती है, प्रत्येक माह एवं उसके उस अंश के लिए समाविष्ट अवधि के अन्दर जो देय तिथि के तुरन्त बाद की तिथि से प्रारम्भ होगा, के लिए कर निर्धारती एक प्रतिशत प्रति माह, की दर से साधारण ब्याज अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा। एवं

(क) जहाँ देय तिथि के पश्चात रिटर्न प्रस्तुत की जाती है, रिटर्न की प्रस्तुति की तिथि पर समाप्त होगा, अथवा

(ख) जहाँ कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं की गई है, धारा 144 के अंतर्गत कर निर्धारण के समापन की तिथि पर समाप्त होगा,

[6] धारा 234 (ए) के अन्तर्गत ₹ 45.64 लाख, धारा 234 (बी) के अन्तर्गत ₹ 68.46 लाख तथा धारा 234 (सी) के अन्तर्गत ₹ 19.20 लाख।

के दौरान कार्यालय स्थान[7] का आबंटन किया गया। कंपनी ने सभी लाइसेंसधारियों के कार्यालय स्थान के किराये/लाईसेंस शुल्क में एक जनवरी 2011 से प्रभावित ₹ 25.50 प्रति वर्ग फीट प्रति माह से ₹ 45 प्रति वर्ग फीट प्रति माह वृद्धि की थी। यद्यपि कम्पनी ने 1 जनवरी 2011 से 31 दिसम्बर 2012 की अवधि के लिए डिम्ट्स को प्रति माह ₹ 25.50 प्रति वर्ग फीट प्रति माह की पुरानी दरों पर लाइसेंस शुल्क के बिल जारी किये, जबकि सरकारी विभागों सहित सभी अन्य लाइसेंसधारियों को इस अवधि के दौरान बढ़ी हुई दरों पर बिलों को जारी किया।

इस प्रकार 1 जनवरी 2011 से 31 दिसम्बर 2012 की अवधि के लिए डिम्टस को लाइसैंस शुल्क की बढ़ी हुई दरों पर बिलों को प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप ₹1.57[8] करोड़ की हानि हुई।

(v) ऋण पर दण्ड ब्याज के कारण ₹ 3.72 करोड़ की परिहार्य देयता: रा.रा.क्षे.दि.स. के परिवहन विभाग ने कंपनी को तीन वर्ष के स्थगन काल के साथ आइ.एस.बी.टी, कश्मीरी गेट की मरम्मत के लिए, ₹ 70 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया जिसे तीन किश्तों में ₹ 40 करोड़, ₹ 20 करोड़ तथा ₹ 10 करोड़ को क्रमशः 31 मार्च 2011, 7 अप्रैल 2012 तथा 9 अप्रैल 2013 को प्राप्त किया गया था। ऋण पर प्रत्येक वर्ष 10.50 प्रतिशत की दर से लगे ब्याज का भुगतान मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए अनुमत स्थगन काल की अवधि को ध्यान दिये बिना किया जाना था। कम्पनी ने 2010–14 की अवधि के दौरान, वार्षिक आधार पर, ऋण पर, देय ब्याज का भुगतान नहीं किया तथा इस प्रकार, वह स्वीकृति के आदेशों की शर्तों के अनुसार, ₹ 3.72 करोड़ के दण्ड ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी थी।

यह पैराग्राफ सरकार को जारी किया गया (अक्तूबर 2014), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

2.2.11 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

दिल्ली राज्य स्पेशियल डाटा अवसंरचना परियोजना ने अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जबकि परियोजना की लागत के प्रति ₹ 116.86 करोड़ जारी किए जा चुके थे। अनुवर्ती निष्पादन ने परियोजना के कार्यान्वयन में शिथिलता एवं डाटा की उपयोगिता में अनिश्चितता को दर्शाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 50.29 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। जी.एस.डी.एल. ने 38 लाइन विभागों में से सिर्फ चार लाइन विभागों के साथ स.ज्ञा. हस्ताक्षरित किया। ₹ 7.23 करोड़ की राशि के कुछ आवश्यक घटकों को अनुमान में शामिल नहीं किया गया। डाटा केन्द्रों की स्थापना के लिए जारी किये गए ₹ 3.00 करोड़ की निधियाँ अप्रयुक्त रहीं।

दिल्ली के रा.रा.क्षे. के बड़े पैमाने पर बुनियादी नक्शे को बनाने के लिए 3 डी–जियोस्पेशियल सूचना पद्धति (जि.सू.प.) के विकास की परियोजना को भारतीय सर्वेक्षण विभाग (भा.स.वि) को टर्नकी परियोजना के रूप में सौंपा गया। परियोजना के दो भाग होने थे (i) भू–कर[9] सूचना सहित

[7] 29259.96 वर्ग फीट = 6082.53 वर्ग फीट (08.09.2006), 2688.40 वर्ग फीट (09.06.2006), 6580 वर्ग फीट (25.04.2007), 129.12 वर्ग फीट (05.01.2007), 298.91 वर्ग फीट (12.01.2007), 9868 वर्ग फीट (07.04.2008), 3613 वर्ग फीट (10.09.2011)

[8] लाईसैंस शुल्क ₹ 1.37 करोड़, जल प्रभार ₹ 0.07 करोड़ तथा सेवाकर ₹ 0.13 करोड़

[9] सम्पति सीमाएँ, उपमंडलीय रेखाएँ, इमारतें एवं संबंधित विवरण दिखाते या अभिलिखित करते हुए।

दिल्ली की भूमि सूचना पद्धति (भू.सू.प.), और (ii) शहरी योजना की स्पेशियल डाटा तथा सूचना की मांग की पूर्ति के लिए शहरी स्पेशियल सूचना पद्धति (श.स्पे.सू.प.)। व्यापक सूचना पद्धति, उचित योजना तथा विभिन्न उपयोज्यों के रख–रखाव तथा सभी सूचनाओं के डाटा बेस के रूप में कार्य करने के लिए सहायक थी। मंत्रीमण्डल ने दिल्ली राज्य स्पेशियल डाटा अवसंरचना (दि.रा.स्पे.डा.अ) परियोजना के लिए ₹ 120 करोड़ के व्यय का अनुमोदन किया, तथा रा.रा.क्षे.दि.स. तथा भा.स.वि के बीच एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू) 30 नवम्बर 2007 को हस्ताक्षरित हुआ। परियोजना राष्ट्रमण्डल खेलों के प्रारंभ होने से पहले 24 माह के अन्दर पूर्ण होनी थी।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (सू.प्रौ.वि.), रा.रा.क्षे.दि.स. के अन्तर्गत मई 2008 में परियोजना के अन्तर्गत उत्पन्न डाटा प्रतिस्थापित करने के लिए एक स्पेशल परपस वैहिकल यानि ''जियो स्पेशियल दिल्ली लिमिटेड'' (जी.एस.डी.एल) की स्थापना की गई। 'दिल्ली जियोस्पेशियल डाटा अवसंरचना (प्रबंधन, नियंत्रण, प्रशासन, सुरक्षा एवं बचाव) अधिनियम 2011 (डी.जी.एस.डी.आई. अधिनियम)' अप्रैल 2011 में अधिनियमित किया गया था तथा उसके अन्तर्गत दिसम्बर 2011 में डी.जी.एस.डी.आई. नियम तैयार किए गए।

परियोजना के प्रारंभ से मार्च 2014 तक परियोजना के कार्यान्वयन तथा निष्पादन की लेखापरीक्षा समीक्षा, सू.प्रौ.वि., जी.एस.डी.एल. तथा भा.स.वि. द्वारा दिए गए रिकार्डों तथा सूचना के आधार पर जुलाई से दिसंबर 2014 के बीच की गई थी।

2.2.11.1 परियोजना के कार्यान्वयन में शिथिलता

शहरी योजना, आपदा प्रबंधन, ट्रैफिक प्रबंधन, मुख्य इमारतों तथा अन्य मूल्यवान अवसंरचनात्मक सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, 3 डी–जि.स्पे. डाटा बेस की परियोजना की कल्पना जियो स्पेशियल डाटा एवं रा.रा.क्षे.दिल्ली का बड़े पैमाने पर बुनियादी नक्शा उत्पन्न करने के लिए की गई थी। परियोजना का कार्यान्वयन तथा इसके अनुवर्ती निष्पादन का लेखापरीक्षा मूल्यांकन, परियोजना के कार्यान्वयन में शिथिलता तथा परियोजना के अन्तर्गत विकसित डाटा बेस की उपयोगिता में अनिश्चितता को दर्शाता है। अनुवर्ती उप–पैराग्राफ देखे गए विषयों को उजागर करते हैः

2.2.11.2 परियोजना को पूर्ण करने में विलम्ब

समझौता ज्ञापन के अनुसार भा.स.वि द्वारा परियोजना को 24 माह (नवंबर 2009 तक) के अंदर पूर्ण किया जाना था। भा.स.वि. द्वारा ठेका मार्च 2008 में मैसर्स नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी (एन.ई.सी.) को ₹ 119.08 करोड़ की लागत पर सौंपा गया था। भा.स.वि ने ढाई वर्ष से अधिक की देरी के साथ परियोजना जी.एस.डी.एल. को जुलाई 2012 में सौंप दी। अगस्त 2014 तक सू.प्रौ.वि. ने भा.स.वि को ₹ 116.86 करोड़ का भुगतान किया था।

परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण तथा भा.स.वि/एन.ई.सी को समय सीमा में दी गई वृद्धि, की जानकारी मांगी गई थी परन्तु प्रदान नहीं की गई। परियोजना में विलम्ब ने लाइन विभागों[10], विभिन्न एजेन्सियों तथा जन साधारण को उनकी योजना प्रक्रिया में डाटा की वांछित सुविधाओं से वंचित किया।

[10] लाइन विभागों में सरकार के विभाग, निगम तथा बोर्ड सम्मिलित हैं, जिन्हें अभिगमन नियंत्रण के जरिए बुनियादी नक्शा अभिगम का अधिकार है।

2.2.11.3 अधिनियम के प्रावधानों का गैर–कार्यान्वयन

डी.जी.एस.डी.आई. अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत गठित नियम, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जियो स्पेशियल डाटा बेस नियमित रूप से अद्यतन हो तथा जरूरतमंद विभागों के लिए हर समय उपयोगी रहें, जी.एस.डी.एल तथा लाइन विभागों की जिम्मेदारियों को परिभाषित करते है। तथापि, अधिनियम के प्रावधानों को पूर्णतयः कार्यान्वित नहीं किया गया जैसाकि नीचे वर्णित हैः

(i) डी.जी.एस.डी.आई. अधिनियम की धारा 9 (3) के अनुसार, जियो स्पेशियल डाटा के अद्यतनीकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी, संबंधित विभागों की है। तथापि, जी.एस.डी.एल द्वारा प्रदान की गई सूचना (अगस्त 2014) के अनुसार 2013 के दौरान, 38 में से केवल 10 लाइन विभागों ने अपना डाटा अद्यतन किया।

(ii) अधिनियम की धारा 9 (1) के अनुसार, डाटा के उपयोग के लिए, जी.एस.डी.एल. को लाइन विभागों के साथ औपचारिक सेवा स्तर समझौते (से.स्त.स.) करना अपेक्षित था। जबकि सितम्बर 2014 तक जी.एस.डी.एल ने 38 में से केवल 4 लाइन विभागों के साथ समझौते ज्ञापन हस्ताक्षरित किये थे। इसने अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन तथा योजना की प्रक्रिया में आवश्यक डाटा के उपयोग की अनुवर्ती प्रगति में जी.एस.डी.एल की ओर से दिखाई गयी शिथिलता को दर्शाया।

2.2.11.4 जियोस्पेशियल डाटा बेस की प्रश्नवाचक उपयोगिता

लेखापरीक्षा ने देखा कि परियोजना के अन्तर्गत विकसित 3 डी–जि.सू.प. डाटा बेस उपयोगकर्ता एजेंसियों की आवश्यकतानुसार पूर्ण रूप से अनुरूप नहीं था। अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार डाटा के प्रयोग में उन्होंने समस्याओं का सामना किया। मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे.दि.स. ने विभिन्न लाइन विभागों के पत्रों को, उनकी शिकायतों को इंगित करते हुए तथा परियोजना के अन्तर्गत सृजित डाटा की कसौटी को सुनिश्चित करने में तुरंत सुधारात्मक कार्यवाही के लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय को अग्रेषित किया (अप्रैल 2011)। तथापि, इस पत्र में उठाए गए विषयों पर की गई सुधारात्मक कार्यवाही, रिकॉर्ड में नहीं थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने आगे दर्शाया कि दिल्ली स्पेशियल डाटा विनियामक प्राधिकरण (दि.स्पे.डा.वि.प्रा.), जिसे अधिनियम के अन्तर्गत जियोस्पेशियल डाटा, मानचित्र इत्यादि, के उपयोग के लिए, सेवा प्रभार, शुल्क तथा लागत, निर्धारित करने के लिए स्थापित किया गया था, ने लाईन विभागों से डाटा के उपयोग करने के लिए शुल्क का निर्धारण किया (दिसंबर 2012)। यद्यपि, आठ लाइन विभागों ने निम्नवर्णित कारणों से जी.एस.डी.एल को अपेक्षित शुल्क का भुगतान नहीं किया।

- अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए तीन विभागों (बी.वाई.पी.एल, आइ.जी.एल, टी.पी.डी.डी.एल) के पास अपनी जि.सू.प. अवसंरचना थी।
- तीन विभागों (टी.पी.डी.डी.एल, एस.डी.एम.सी तथा डी.यू.एस.आई.बी.) को जि.सू.प. प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का अधिकार अथवा उपकरण, संपर्क सूत्र आदि प्रदान नहीं किए गए।
- आई.जी.एल. तथा डी.टी.सी. ने कहा कि अपेक्षित एप्लीकेशन या तो विकसित नहीं हुए और यदि विकसित हुए तो विभागों की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे।
- डी.एफ.एस. ने इंगित किया कि अपेक्षित अभिनव गति के अभाव में जि.सू.प. डाटा का उपयोग नहीं हो सका।
- डी.टी.सी. के अनुसार, परियोजना के अन्तर्गत निर्मित डाटा दोषपूर्ण था तथा लीज लाइन संयोजन जटिल थी तथा,

- आबकारी, मनोरंजन तथा विलासिता कर विभाग ने बताया कि एप्लीकेशन लिंक का प्रयोग नहीं किया जा सका क्योंकि, जी.एस.डी.एल ने डाटाबेस का अद्यतन नहीं किया।

इस प्रकार, कई लाइन विभाग उपलब्ध डाटा का उपयोग करने की स्थिति में नहीं थे तथा उन्होनें 2012–14 की अवधि के लिए, जी.एस.डी.एल को ₹ 18.08 करोड़ के शुल्क राशि का भुगतान नहीं किया जबकि जी.एस.डी.एल. ने तथ्य के बावजूद 2010–14 की अवधि में उन्हें प्रदान की गई लीज लाइनों के लिए किराये के रूप में ₹ 2.00 करोड़ का भुगतान किया था।

लाइन विभागों द्वारा उजागर किए गए विषय दशार्ते हैं कि परियोजना के प्रारंभ से पूर्व, लाइन विभागों से उनकी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में परामर्श नहीं किया गया, जिसकी पुष्टि सू.प्रौ.वि द्वारा अपने उत्तर (दिसंबर 2014) में की गई। फलस्वरुप, जियो स्पेशियल डाटा तथा सम्पूर्ण प्रणाली, सभी अभीष्ट विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ थे। जिन मामलों में डाटा अनुकूल पाया गया, वहाँ पर भी अन्य कठिनाइयाँ जैसे संयोजकता, अभिनव गति, दोषपूर्ण डाटा इत्यादि क्लाइन्ट विभागों के बीच असंतोष का कारण था। यह परियोजना के परिकल्पित उद्देश्य की सफलता पर प्रश्न उठाता है।

एक विशिष्ट मामले में, यह देखा गया था कि आई.आई.टी, दिल्ली को 'दिल्ली जल निकासी के मास्टर प्लॉन' तैयार करने का कार्य देते समय रा.रा.क्षे.दि.स. ने आश्वासित किया था कि दि.रा.स्पे. डा.अ. डाटा बेस में आवश्यक डाटा उपलब्ध था। जबकि, परियोजना के परामर्शदाता ने, बाद में इंगित किया कि जी.एस.डी.एल द्वारा प्रदान किया गया डाटा, न तो पूर्ण था और न सटीक था तथा, इस तरह से इसमें से ज्यादातर डाटा अध्ययन में उपयोगी नहीं था।

अपने उत्तर में, जी.एस.डी.एल. ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकारा (अगस्त 2014) तथा अगली बैठक में बकाया शुल्क के मामलों को विनियामक प्राधिकरण के संज्ञान में लाने का आश्वासन दिया।

2.2.11.5 ₹ 50.29 करोड़ का निष्फल व्यय

भा.स.वि के साथ किए गए समझौते के अनुसार, एन.ई.सी. को दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर 10 अनुवीक्षण केन्द्रों (अ.के) को स्थापित तथा परिवर्तन संसूचन सॉफ्टवेयर सहित 63 आई.पी. कैमरों को अधिष्ठापित करना था। अनुवीक्षण केन्द्र मुख्यतः विडियो डाटा, जो लीज लाइन् द्वारा कैमरों से अ.के तक संचारित होना था, का निरीक्षण तथा अभिलेखन करने के लिए, और मुख्यतः अवैध निर्माण की निगरानी करने तथा डाटा में परिवर्तन विश्लेषण करने के लिए थे। परिवर्तन विश्लेषण के आधार पर निर्मित रिपोर्टें आवश्यक कार्यवाही के लिए सम्बन्धित प्राधिकरणों को अग्रेषित की जानी थी। जी.एस.डी.एल से प्राप्त सूचना के अनुसार 10 अ.के. में से केवल चार[11] कार्यात्मक थे जबकी शेष छः में केवल उपकरण स्थापित किए गए थे। जबकि चार कार्यात्मक बताए गए अ.के. में से दो[12] का निरीक्षण दर्शाता था कि कोई भी कार्यात्मक नहीं था, जहाँ उपकरण तथा बाहय उपकरण निराशाजनक स्थिति में उपेक्षित पड़े थे। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इन दस अ.के. की अनुमानित लागत ₹ 30 करोड़ थी तथा वास्तविक लागत लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि आई.पी. कैमरों की उपयोगिता के विषय में जी.एस.डी.एल. द्वारा चर्चा की गई (जनवरी 2009)। कैमरों के आरोहण संबंधी तकनीकी समस्याओं के कारण एवं दो वास्तविक समय विडियो के बीच परिवर्तन संसूचन को दर्ज करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर उपलब्ध

[11] शाहदरा दक्षिण, शाहदरा उत्तर क्षेत्र, दिल्ली पुलिस मुख्यालय तथा दि.न.नि.पा. पालिका केन्द्र
[12] शाहदरा दक्षिण तथा शाहदरा उत्तर क्षेत्र

न होने के कारण, सभी खरीदे गए तकनीकी उपकरणों को प्रयोग में नहीं लाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 50.29 करोड़ (₹ 30 करोड़ अ.के. पर तथा ₹ 20.29 करोड़ आई.पी.कैमरों पर) का निष्फल व्यय हुआ।

अपने जवाब में सू.प्रौ.वि ने बताया (नवम्बर 2014) कि साइट चयन तथा कैमरों के अधिष्ठापन की तैयारियों की प्रक्रिया जटिल तथा समय लेने वाली है और इसके लिए इमारतों की पहचान तथा भवन मालिकों से अनुमति की आवश्यकता है। विभाग का उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखकर स्वीकार्य नहीं है कि अ.के. कार्यात्मक नहीं हैं तथा ₹ 50.29 करोड़ का संपूर्ण व्यय निष्फल रहा है।

2.2.11.6 स्थलों का पता लगाये बिना निधियों को जारी करना

जी.एस.डी.एल. ने 63 कैमरों के अधिष्ठापन के लिए सिविल तथा विद्युतीय कार्य, लो.नि.वि. को सौंपा एवं मार्च 2012 में ₹ 74.90 लाख जारी किए (₹ 10.67 लाख सिविल कार्य के लिये तथा ₹ 64.23 लाख विद्युतीय कार्य के लिए)। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि लो.नि.वि. ने जून 2014 तक विद्युतीय कार्य पर केवल ₹ 13.40 लाख का उपयोग किया। स्थलों की पहचान करने से पहले निधियों को जारी करना के.लो.नि.वि. मैनुअल की धारा 15.1 (2) के विरूद्ध था।

सू.प्रौ.वि. ने अपने उत्तर (अक्तूबर 2014) में कहा कि 63 स्थलों पर प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए लो. नि.वि. को दी गई राशि को एकमुश्त आधार पर निश्चित किया गया अन्यथा प्रत्येक स्थल के लिए समय लेने वाली निविदा प्रक्रिया का पालन करना पड़ता। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्थलों की पहचान के पूर्व ही निधि को जारी किया जा चुका था जोकि के. लो. नि. वि. मैनुअल के प्रावधानों के विरुद्ध था।

2.2.11.7 रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान उपकरणों (रे.फ्री.प.उ.) का गैर – अधिष्ठापन

1500 रे.फ्री.प.उ. के अधिष्ठापन के लिए भा.स.वि./रा.रा.क्षे.दि.स. को ग्लोबल पोज़ीशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) एवं रेडियो फ्रीक्वेंसी की अनुमति प्रदान करनी थी। यद्यपि एन.ई.सी ने ₹ 45 लाख की लागत के रे.फ्री.प.उ. खरीद लिए थे, जी.एस.डी.एल. द्वारा जी.पी.एस. यूनिट एवं रेडियो फ्रीक्वेंसी की अनुमति का प्रबंध न किए जाने के कारण रे.फ्री.प.उ. का अधिष्ठापन नहीं किया जा सका। इस प्रकार, रे.फ्री.प.उ का लाभ जैसा कि परियोजना में अनुबद्ध था, नहीं उठाया जा सका, जबकि सू.प्रौ. वि. के विरुद्ध ₹ 45 लाख का दायित्व बन गया।

अपने जवाब में, सू.प्रौ.वि. ने बताया (अगस्त 2014) कि जी.पी.एस. इकाई परियोजना का हिस्सा नहीं थी, बल्कि रे.फ्री.प.उ के अधिष्ठापन के लिए एक अतिरिक्त आवश्यकता के रुप में थी। उसने आगे बताया कि जैसे–जैसे रे.फ्री.प.उ का अधिष्ठापन होगा, जी.पी.एस. इकाई का अथवा उसके विकल्प का प्रावधान किया जाएगा और जैसे तकनीक का विकास होगा, रे.फ्री.प.उ का उपयोग करने के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध हो जाएँगे। उत्तर लेखापरीक्षा की इस टिप्पणी की पुष्टि करता है कि रे.फ्री.प.उ अधिष्ठापित नहीं किए गए थे।

2.2.11.8 अन्य मामले

(क) परियोजना लागत मे पूँजीगत प्रवृति के व्यय का गैर – समावेशन

सू.प्रौ.वि. ने दि.रा.स्पे.डा.अ. परियोजना के निष्पादन के संबंध में जी.एस.डी.एल/भा.स.वि. को ₹ 120 करोड़ की स्वीकृत राशि के अलावा लीज लाइन संयोजन (₹ 1.33 करोड़), जियो स्पेशियल परामर्शदाताओं की नियुक्ति (₹ 4.00 करोड़) एवं दैनिक व्ययों (₹ 1.90 करोड़) के लिए ₹ 7.23 करोड़ जारी किये।

सू.प्रौ.वि. ने कहा (सितम्बर 2014) की आवश्यक लीज लाइनों की वास्तविक संख्या को पहले से ही सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था, जियो स्पेशियल परामर्शदाताओं की सेवाएं समन्वय एवं डाटाबेस के अद्यतन के लिए ली गई थी। दैनिक व्ययों के संबंध में विभाग, कैबिनेट के अनुमोदन का इरादा रखता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह व्यय पूंजीगत प्रकृति के थे तथा परियोजना के अनुमान का भाग होने चाहिए थे। यह संकेत करता है कि परियोजना की कल्पना, योजना तथा निष्पादन जल्दबाजी में किया गया, जहाँ प्रमुख तथा आवश्यक घटक योजना स्तर के समय विचार के लिए नहीं लिए गये।

(ख) ₹ 3.00 करोड़ की निधि का अवरोधन

सू.प्रौ.वि. ने, जी.एस.डी.एल को मार्च 2010 में, उसकी अधिदेशाधीन गतिविधियों को पूरा करने के लिए, दो डाटा केन्द्रों की स्थापना के लिए ₹ 3.00 करोड़ जारी किए। अभी तक डाटा केन्द्रों की स्थापना नहीं हुई थी (दिसम्बर 2014)। सू.प्रौ.वि. ने बताया (सितम्बर 2014) कि डाटा केन्द्र, परियोजना के दायरे में नहीं आते थे तथा राशि जी.एस.डी.एल के पास अभी तक अनुपयोगी पड़ी है। हालाँकि, उत्तर डाटा केन्द्रों के अधिष्ठापन और जी.एस.डी.एल से अनुपयोगी राशि की वापसी पर मौन है।

उपरोक्त बिन्दु दिल्ली सरकार को जनवरी 2015 में रिपोर्ट किए गए थे, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

(डौली चक्रबर्ती)
प्रधान महालेखाकार (ले.प.) दिल्ली

नई दिल्ली
दिनांकः 01 जून 2015

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक : 03 जून 2015